



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश सुरक्षित किया गया :18.11.2025

आदेश पारित किया गया:05.12.2025

रिट याचिका सेवा सं. 6291/2024

- 1 - भारत संघ, महाप्रबंधक के द्वारा, एस.ई.सी., रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर-495004, छत्तीसगढ़
- 2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एनेक्स बिल्डिंग, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर-495004, छत्तीसगढ़।
- 3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एनेक्स बिल्डिंग, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर- 495004, छत्तीसगढ़।
- 4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेल, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर- 495004

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1-श्रीमती. आर. संतोषी (पिता आर. नारायण राव), पति श्री हरीश नायडू पता- जे/66, जनता कॉलोनी, गुदियारी, रायपुर- 492001, सी.जी.
- 2 - के.हेमंत पिता श्री के.मोहन राव पता- प्रकाश किराना स्टोर्स के अलावा, विनायक विहार, शिवानंद नगर, खमतलाई, रायपुर- 492001, सी.जी.
- 3 - कोमल प्रसाद पटेल पिता रामू पटेल वर्तमान में उम्र लगभग 37 वर्ष निवासी ग्राम डभराखुर्द पो. बिरा तहसील चांपा जिला - जांजगीर - चांपा (छ.ग.)
- 4 - विजय सिंह मानसर पिता श्री बलराम सिंह मानसर उम्र लगभग 29 वर्ष रोल नंबर 32412665 निवासी परसदा पोस्ट बनारी तह. अकलतरा जिला - जांजगीर चांपा (छ.ग.) -495668
- 5-कुलदीप कुमार कर्ष पिता श्री टेकराम उम्र लगभग 30 वर्ष रोल नंबर 52458027 निवासी तह. सारंगढ़ पोस्ट कोसीर जिला - रायगढ़ (छ.ग.) - 496445
- 6 - विकास कश्यप पिता श्री बृज कुमार कश्यप उम्र लगभग 29 वर्ष रोल नंबर 32102511 निवासी पोस्ट व तह. बिलासपुर जिला - बिलासपुर (छ.ग.)-495001
- 7 - सुमित कुमार पिता श्री रामसंदेश प्रसाद उम्र लगभग 31 वर्ष निवासी ग्राम अहियापुर पो. अकौना पी.एस. गोह जिला - औरंगाबाद (सी.जी.)



- 8 - विजय कुमार निर्मल पिता श्री रामनंदन यादव उम्र लगभग 36 वर्ष निवासी ग्राम लभारी पो. केराप पी.एस. रफीगंज जिला - औरंगाबाद (बिहार)
- 9 - नितेश बघेल पिता श्री श्याम बघेल उम्र लगभग 32 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक - 16 महात्मा गांधी वार्ड सिवनी प्राण मोती जिला - छिंदवाड़ा (म.प्र.)
- 10 - लोकेश कुमार पिता श्री शत्रुघ्न प्रसाद उम्र लगभग 34 वर्ष निवासी बस स्टैंड के पास डूमरडीह उतई जिला - दुर्ग (छ.ग.)
- 11 - प्रदीप कुमार पिता देवनंदन मंडल उम्र लगभग 34 वर्ष बेरोजगार निवासी ग्राम कोदवार पी.ओ. घोवा तहसील कलगांव जिला-भागलपुर (बिहार)
- 12 - सरवर अली पिता श्री अलीम अली उम्र लगभग 33 वर्ष निवासी नारायणपुर थाना भवानी पोस्ट जिला-भागलपुर बिहार
- 13 - रवि रंजन कुमार पिता श्री विनोद प्रसाद उम्र लगभग 38 वर्ष बेरोजगार निवासी ग्राम जवनिया पो0 दरियोरा प.स. अमस जिला - गया (बिहार) पिन कोड नंबर 824211
- 14 - राजेश कुमार ढोके पिता श्री दयाराम ढोके, उम्र लगभग 35 वर्ष, बेरोजगार, निवासी एमआईजी - 54 वेंकटेश नगर 12- बंगला इटारासी - 461111 जिला - होशंगाबाद (मध्य प्रदेश)
- 15 - राजेश कुमार चौधरी पिता श्री पलटन चौधरी उम्र लगभग 34 वर्ष निवासी ग्राम अमारी थाना धरहा जिला - मुंगेर (बिहार)
- 16 - संजय कुमार पिता श्री जनेश्वर दास उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी आर.के. के पास। डी. कॉलेज लोहिया नगर कंकड़बाग जिला-पटना (बिहार)
- 17 - रंजन कुमार कश्यप पिता श्री रामफल कश्यप उम्र लगभग 33 वर्ष निवासी करियाहा पारा रतनपुर तहसील कोटा जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- 18 - अजीत कुमार पिता श्री विजय कुमार सिंह उम्र लगभग 27 वर्ष निवासी ग्राम तरवां पी.एस. वज़ीरगंज जिला - गया बिहार
- 19 - शिव कुमार कैवर्ति पिता श्री राजकुमार कैवर्ति उम्र लगभग 30 वर्ष व्यवसाय - बेरोजगार निवासी ग्राम सामरिया डी व पोस्ट - कोसा थाना मुलमुला तहसील - पामागढ़ जिला - जांजगीर - चांपा (छ.ग.)
- 20 - जितेंद्र सिंह बजगोती पिता श्री राम सिंह बजगोती 36 वर्ष-बेरोजगार निवासी रेलवे क्वार्टर नं। आरबीआइआइ/44/ए, रेलवे वार्ड बल्लारपुर तहसील बल्लारपुर-442701 जिला-चंद्रपुर (एमएच)



21 - नरेंद्र कुमार कुचले पिता जय प्रसाद कुचले, 29 वर्ष व्यवसाय बेरोजगार, निवासी गाँवाकटंगी पो बिसोनी तह। लांजी जिला-बालघाट (एम. पी.)

22 - लक्ष्मण केवार्ट पिता श्री राजूलाल केवार्ट, 31 वर्ष निवासी गांवतथा पोस्ट सीज पी. एस. रतनपुर जिला- बिलासपुर (सी. जी.)

23-अवधेश कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री सहदेव दास उम्र लगभग 30 वर्ष व्यवसाय-बेरोजगार निवासी ग्राम महमदा डाकघर पट्टम थाना नया राम नगर जिला - मुंगे (बिहार) पिन कोड नंबर 811214

24 - अखिलेश कुमार पुत्र रामाशीष दास उम्र लगभग 29 वर्ष व्यवसाय - बेरोजगार निवासी ग्राम एकडंगा पीओ एकडंगा पीएस बेलछी जिला - पटना (बिहार) 80321

25 - बीरेन्द्र कुमार साहू पिता श्री छतराम साहू उम्र लगभग 38 वर्ष रोल 42412031 निवासी मेहंदा पोस्ट कुतरा तह और जिला - जांजगीर चांपा (सी.जी.) - 495668

26 - हेमन्त कुमार बरेठ पिता श्री कन्हैया लाल उम्र लगभग 33 वर्ष रोल नं. 52415049 निवासी तह. डभरा पोस्ट कटेकोनी (छोटे) जिला - जांजगीर चांपा (छ.ग.) 495688

27 - अनिल कुमार पिता श्री भगवती प्रसाद साहू उम्र लगभग 38 वर्ष रोल क्रमांक 42466571 निवासी भाटापारा तह. सिमगा पोस्ट हैटबैंड जिला - बलौदाबाजार (सी.जी.) - 493113

28 - राजेश कुमार कश्यप पिता श्री दिले राम कश्यप उम्र लगभग 32 वर्ष रोल नंबर 22412003 निवासी भाटापारा पोस्ट नैला तह. जांजगीर जिला - जांजगीर - चांपा (छ.ग.)

29- विजय कुमार साहू पिता श्री अशोक कु. साहू उम्र लगभग 31 वर्ष रोल नंबर 32142603 आर/013 इंद्रा कॉलोनी तह सिमगा जिला - बलौदाबाजार (छ.ग.)

30 - बलराम केवट पिता श्री साहेबलाल केवट उम्र लगभग 36 वर्ष रोल नंबर 42411650 निवासी अमोरा पोस्ट अमोरा तह. नवागढ़ जिला - जांजगीर चांपा (छ.ग.)

31 - चुरामन कुमार पिता श्री किशुन लाल उम्र लगभग 35 वर्ष रोल। क्रमांक 42412741 निवासी ग्राम। एवं पोस्ट रोहरा भाटापारा तह. सिमगा जिला - बलौदाबाजार - भाटापारा (छ.ग.)

32 - थानेश्वर कुमार पिता श्री अमरनाथ साहू उम्र लगभग 33 वर्ष रोल नंबर 52471426 निवासी झिरटया तह. सिमगा पोस्ट कामता जिला-बलौदाबाजार (छ.ग.)

33 - राजेंद्र प्रसाद धिरितलहरे पिता श्री रामाधार उम्र लगभग 36 वर्ष रोल नंबर 22221501 निवासी मालदा तह.सारंगढ़, पोस्ट पासी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)



34 - दिलेश्वर दास पिता श्री धनी दास उम्र लगभग 26 वर्ष रोल नंबर 52102671 निवासी खोंगसरा तह।
कोटा जिला - खोंगसरा बिलासपुर (छ.ग.)

35 - डोमन राम शाऊ पिता श्री जंतू राम साहू उम्र लगभग 36 वर्ष रोल नंबर 52436803 निवासी ग्राम
पारागांव कलां पोस्ट पारागांव खुर्द तह. डोंगरगढ़ जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)

36 - दिलीप कुमार बरेठ पिता श्री राम प्यारे बरेठ उम्र लगभग 32 वर्ष अनुक्रमणिका सं. 52458478
निवासी ताह। तथा पोस्ट दाभरा जिला-जांजगीर चंपा (सी. जी.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 4069/2025

1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे के द्वारा , बिलासपुर जोन, मुख्यालय, कार्यालय, बिलासपुर -
495004 छत्तीसगढ़

2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर -
495004 छत्तीसगढ़। 2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, महाप्रबंधक
कार्यालय, बिलासपुर - 495004 छत्तीसगढ़।

4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर - 495004।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

कुलदीप कुमार ओगरे पिता श्री मुन्नालाल ओगरे उम्र लगभग 35 वर्ष बेरोजगार, निवासी ग्राम डोंगी पेंड्री पोस्ट
खमरिया 495446 जिला जांजगीर छत्तीसगढ़।

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 4127/2025

1 - भारत संघ अपने महाप्रबंधक के द्वारा , दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (सी. जी.) 495004

2 - मुख्य कार्मिक अधिकारी (भर्ती), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (सीजी.) 495004

3 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (सीजी.) 495004

4 - मंडल रेलवे प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (सीजी.) 495004

---- याचिकाकर्ता



बनाम

नितेश रमेश वारघंटीवार पिता श्री रमेश पोचन्नाजी वारघंटीवार उम्र लगभग 36 वर्ष निवासी- पोस्ट और ताह।
मूल, इंदिरा नगर, वार्ड क्रमांक 11 मूल, जिला.चंद्रपुर (महा.) 441224

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 4047/2025

- 1 - भारत संघ - महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)
- 2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)
- 3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)
- 4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर - 495004

--- याचिकाकर्ता

बनाम

मो. नवाज शरीफ पिता कादिर हुसैन 35 वर्ष वर्तमान में बेरोजगार, निवासी हुसैनाबाद, मार्कजीतोला, पोस्ट-
मिरजानहाट, जिला भागलपुर, बिहार, 812005

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 4134/2025

- 1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर- 495004 (सीजी)
- 2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन। जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर 495004 (सीजी)
- 3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन जी. एम. एस. कार्यालय, बिलासपुर 495004 (सी. जी.)



4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर 495004

--- याचिकाकर्ता

बनाम

अमित कुमार सिन्हा पिता श्री सुधीर कुमार सिन्हा 35 वर्ष बेरोजगार, निवासी 167, सिन्हा प्लेस, गोधनी रोड, आशीर्वाद नगर, नागपुर 440030

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 4024/2025

1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर - 495004

2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)

3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)

4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर - 495004

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - सरवर अली, पिता श्री अलीम अली, उम्र लगभग 28 वर्ष, बेरोजगार, निवासी ग्राम एवं डाकघर नारायणपुर, थाना भवानीपुर, जिला भागलपुर- 853203 (बिहार)

2 - संजीव कुमार, पिता श्री नंद कुमार, उम्र लगभग 28 वर्ष, बेरोजगार, निवासी ग्राम एवं डाकघर पसराहा, जिला खगड़िया (बिहार)- 851212

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 4044/2025

1 - भारत संघ, -महाप्रबंधक, एस. ई. सी. रेलवे, बिलासपुर क्षेत्र, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर-495004 (सी. जी.)



2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एनेक् भवन, जीएमएस कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सीजी)

3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन जीएमएस कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)

4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर - 495004

---- याचिकाकर्ता

बनाम

अरविंद कुमार, पिता श्री रामपति प्रसाद, उम्र लगभग 36 वर्ष, बेरोजगार, निवासी ग्राम एवं डाकघर - सिरसला संख्या 3, जिला - देवरिया (उत्तर प्रदेश), पिन कोड - 274203

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 4120/2025

1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)

2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एनेक्स बिल्डिंग, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)

3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, एनेक्स बिल्डिंग, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)

4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर - 495004

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1- ललित कुमार पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद भोई उम्र लगभग 33 वर्ष बेरोजगार, निवासी ग्राम घुटकू, पो घुटकू जिला - बिलासपुर - 495112 (छ.ग.)

2- धर्मवीर कुमार पिता श्री रामप्रकाश यादव उम्र लगभग 29 वर्ष बेरोजगार, निवासी ग्राम। और पो. तुसलीटोल पहाड़पुर ग्राम लखमिनिया, जिला-बेगूसराय-851211



-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 4330/2025

- 1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)
- 2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एनेक्स भवन, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)
- 3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एनेक्स भवन, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)
- 4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)

---- याचिकाकर्ता

बनाम

पंचानन सामल पिता श्री देवराज सामल लगभग 39 वर्ष, बेरोजगार, निवासी गाँव-भातकुंडा, पोस्ट-बरनैदार, पी. पिता-सकरा ज़ोंक, जिला।- महासमुंद, पिन-493555 (सी. जी.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 4143/2025

- 1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर- 495004 (सी.जी.)
- 2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एनेक्स भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर- 495004 (सी.जी.)
- 3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एनेक्स भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर- 495004 (सी.जी.)
- 4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर- 495004

---- याचिकाकर्ता

बनाम





चंदन करमाली, पिता श्री महंगु करमाली, उम्र लगभग 33 वर्ष, बेरोजगार, निवासी पोस्ट ऑफिस नंबर 35/552, सरुबेरा कॉलोनी, मिडिल स्कूल के पास, थाना मांडू, जिला रामगढ़ (झारखंड), पिन कोड 829134 (माननीय न्यायालय के दिनांक 07-08-2025 के आदेशानुसार)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 10041/2025

- 1 - भारत संघ अपने महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।495004
- 2 - मुख्य कार्मिक अधिकारी (भर्ती) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 495004
- 3 - अध्यक्ष रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर, सी. जी. 495004
- 4 - मंडल रेल प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 495004

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - रहांगडाले, सुनील किशोर पिता श्री किशोर सोमाजी रहांगडाले, उम्र लगभग 31 वर्ष, रोल नंबर 22449666, निवासी शिव नगर, पंगोली रोड, छोटा गोंदिया, पोस्ट और तहसील गोंदिया, जिला। गोंदिया (महा.) 441601

2-जितेन्द्र कुमार पिता श्री सहीराम उम्र लगभग 32 वर्ष रोल नं. 22225941, निवासी ग्राम/वार्ड व पोस्ट- जुझारका, तह. अतरौली, जिला. अलीगढ़ (ऊपर) पिन 202125

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 4119/2025

- 1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी., रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर- 495004 (सी.जी.)
- 2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर- 495004 (सी.जी.)
- 3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर- 495004 (सी.जी.)
- 4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी एस. ई. सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय बिलासपुर-495004



--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1-महेंद्र चक्रधारी पिता स्वर्गीय रंजीत चक्रधारी उम्र लगभग 33 वर्ष बेरोजगार, निवासी-मुंशी इस्माइल वार्ड, वार्ड नंबर 23 भाटापारा, जिला बलौदाबाजार- 493118
- 2-अरखी असलम पिता मो.अनवर उम्र लगभग 31 वर्ष बेरोजगार, निवासी- पुरानी रेलवे क्रॉसिंग के पास, बुनियाद नगर, भनपुरी, रायपुर (छ.ग.)
- 3 - प्रिया मोरेश्वर मेशराम पिता श्री मोरेश्वर मेशराम लगभग 39 वर्ष बेरोजगार, निवासी -प्लॉट संख्या 58, पुरानी थावारे कॉलोनी जरीपटका, नागपुर-440014 (सुश्री)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 4313/2025

- 1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर- 495004 (सीजी)
- 2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर- 495004 (सीजी)
- 3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर- 495004 (सीजी)
- 4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर- 495004

--- याचिकाकर्ता

बनाम

मनोज कुमार ठाकुर पिता श्री दानेश्वर ठाकुर 42 वर्ष निवासी बेरोजगार, निवासी गाँव बहजोरा, पोस्ट बेलहर जिलाबांका (बिहार) पिन 813202

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 7203/2024

- 1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर, 495004, छत्तीसगढ़



2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एनेक्स भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर-495004, छत्तीसगढ़।

3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एनेक्सभवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर- 495004, छत्तीसगढ़।

4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर, 495004।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - बीरेबल सिंह पिता श्री फेरन सिंह निवासी ग्राम तुडीला, वाया- दीपाइरा, (कैलास) तहसील- जौरा जिला मोरेना (मध्य प्रदेश) 476224

2 - आनंद कुमार गुप्ता पिता श्री श्यामा प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम और डाकघर लखराम, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 495442

3 - संतोष कुमार पिता श्री बिहारीलाल देवांगन निवासी ग्राम पेंदारी, डाकघर- राजपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 495330

4 - अशोक कुमार साहू पिता श्री पुनी राम साहू निवासी ग्राम नरोत्तम लाल साहू ग्राम एवं पोस्ट-सेंदरी, थाना-कोनी, जिला बिलासपुर, सी.जी. 495009

5 - टी. मुन्ना बाबू पिता श्री टी. अप्पा राव निवासी टी. अप्पा राव निवासी दुर्गा साइकिल स्टोर्स, बस स्टैंड भिलाई-3, जिला दुर्गा, छ.ग. 490021

6 - कोमल लाल यादव पिता श्री कन्हैया लाल यादव कृष्णा किराना स्टोर्स, पुरैना भिलाई-3, जिला दुर्गा, 490021 छ.ग.

7 - ललिता राय थापा पिता श्री जगत राय निवासी रेलवे कॉलोनी, बंगला यार्ड, बिलासपुर जिला बिलासपुर, सी.जी. 495001

8 - पवन कुमार धर्मगुड़ी पिता श्री महेश राम धर्मगुड़ी निवासी ग्राम मरारा, पी ओ मर्ग पी एस पाटन जिला-दुर्गा, 491221, सी.जी.

9- रवि रंजन कुमार पिता श्री भरत प्रसाद निवासी गांव प्रिजपुरा पी ओ सिकंदरपुर पी एस शकुराबाद, जिला जहानाबाद (बिहार) पिन कोड नंबर 804425

10 - संदीप कुमार पिता श्री बालकुवर सिंह निवासी ग्राम बिराई, पोस्ट-ओ अरई, पोस्ट-दाउदनगर, जिला औरंगाबाद (बिहार) पिन कोड संख्या 424143



- 11 - दिनेश कुमार पिता श्री शिव जी प्रसाद निवासी निरंकारी साइकिल स्टोर्स के पास, बैकुंठ नगर, कैंप नंबर 2, भिलाई जिला-दुर्ग, छ.ग. पिन 490001
- 12 - अरशदुर रब कुरैशी पिता श्री मेहदी हसन निवासी रहमत नगर, ग्राम एवं डाकघर बिक्रमगंज, जिला-रोहतास- 802212
- 13 - राजकमल डी डोंगरे पिता श्री ढंडबाजी डोंगरे निवासी प्लॉट नंबर 15, मिसल ले आउट, वैशाली स्कूल के पास, जुरीपटका नारा रोड, नागपुर, (एम एस) 440010
- 14 - मंगेश रमेश तुमडाम पिता श्री रमेश तुमडाम निवासी न्यू रामदास पेठ, काचीपुरा पाटनकर भवन के पीछे, नागपुर, (एम एस) 440010
- 15 - बीरेंद्र लाकड़ा पिता श्री डोमनिक लाकड़ा निवासी भूजल जांच, पोस्ट-हरमू, जिला-रांची, (झारखंड) पिन कोड नंबर 834002
- 16 - रत्नु केरकट्टा पिता श्री बिरसा केरकट्टा निवासी ग्राम जरजट्टा संजोरी पोस्ट ओ बिरकेरा, थाना रायडीह जिला गुमला (झारखंड) 835232
- 17 - एलेक्स प्रवीण मिंज पिता श्री जेरोम मिंज निवासी ग्राम गितिलपुरी (चर्च के पास) बिरसा चौक, पोस्ट-हटिया, जिला रांची (झारखंड) पिन 834003
- 18 - बिजाय केरकेट्टा पिता श्री एंटोनिश केरकेट्टा निवासी खरिया पारा, पोस्ट गुमला जिला गुमला (झारखंड) 835207
- 19 - संजय कुमार पिता श्री जनेश्वर दास निवासी आर.के.डी. कॉलेज के पास, लोहिया नगर, कंकड़ बाग, पटना (बिहार) 800020
- 20-कृष्णा पासवान पिता श्री रामशंकर पासवान निवासी ग्राम अमरथा, रोहतास (बिहार) 802214
- 21 - सचिन कुजूर पिता श्री माइकल कुजूर निवासी तिरती टोली, बाल गोविंद स्कूल के पास, नामकुम, रांची (झारखंड) पिन 834010
- 22-मनोज कुमार पिता श्री मथुरा प्रसाद निवासी ग्राम बाबानी नागवान पी ओ और पी एस - सिरदला, जिला नवादा (बिहार) पिन कोड नंबर 805127
- 23 - राकेश कुमार पाल पिता श्री बिमल पाल निवासी ग्राम धन्ना, पोस्ट- मंझवारी, पोस्ट- सिमरी जिला बक्सर (बिहार) 802133
- 24 - रंजन कुमार कश्यप पिता श्री रामफल कश्यप निवासी करिहा पारा, रतनपुर, तहसील-कोटा, जिला बिलासपुर, 495442 (छ.ग.)



- 25 - इन्द्रमणि चौधरी पिता श्रीजगन्नाथ चौधरी निवासी ग्राम सबेया, पी ओ - राजामडीह, पी एस - राजपुर, जिला रोहतास (बिहार) पिन 802219
- 26 - मनोज कुमार यादव पिता श्री डोमनिक लकड़ा निवासी निधुआवां, थाना- पसहारा, थाना-बक्सर, जिला बक्सर (बिहार) 802119
- 27 - संतोष कुमार पिता श्री सुरेश सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट- परियारी, थाना - किंजर, जिला अरवल (बिहार) पिन 804426
- 28-जितेन्द्र चौधरी पिता श्री रामजीत चौधरी ग्राम अजमतगंज, पी ओ - परयाई जिला गया (बिहार) पिन - 842209
- 29 - विजय कुमार सरोज पिता श्री मनराज सरोज ग्राम-तिवारीपुर, पोस्ट-मेंढौलीकला, तहसील-रानीगंज, जिला. प्रतापगढ़- 230304
- 30 - प्रेमजीत कुमार पासवान पिता श्री माणिक पासवान, ग्राम- माणिक पथड्डा, पोस्ट पथड्डा, थाना, फुल्लीडुमर, जिला बांका (बिहार)-813101
- 31 - सुब्रत विश्वास पिता श्री संतोष विश्वास निवासी ग्राम - शक्तिनगर, पी ओ - मछलंदपुर - 743289 जिला- 24 परगना (उत्तर) पश्चिम बंगाल
- 32 - राजेश कुमार चंद्र पिता श्री एम. एल. चंद्र निवासी ग्रामतथा पी. ओ.-सलोनी काला, तहसील, बिलाईगढ़, जिला- बलदाबाजार पिन-493222, सी. जी.
- 33 - चिरंजीव कुमार पिता स्वर्गीय प्राण नाथ निवासी ग्रामतथा पी. ओ.-सलोनी काला, तहसील, बिलाईगढ़, जिला- बलदाबाजार पिन-493222, सी. जी.
- 34 - बैजनाथ बेलवंशी पिता श्री कमल बेलवंशी निवासी निशान जानोजी पोस्ट-परसगांव सर्रा तहसील-चांद, जिला छिंदवाड़ा पिन 480107 (एम पी)
- 35-पुनीत राम पिता श्री गोविंद निवासी ग्राम कोरमी (नाग चौक) पी ओ हरदी कला (टोना) तहसील और जिला बिलासपुर, सी.जी. 494004
- 36 - गायत्री कुमारी सुपुत्री श्री दीनानाथ निवासी ग्राम कोरमी पी ओ हरदी कला (टोना) तहसील और जिला बिलासपुर, सी.जी. 494004
- 37 - विकास कुमार सोनी पिता श्री राधेश्याम सोनी निवासी क्वार्टर। एन. एच - 25, न्यू कलेक्टर कॉलोनी कवर्धा जिला- कबीरधाम, छ.ग. 491995



- 38 – गीता राय कार्की पिता स्वर्गीय जगत राय कार्की निवासी लालखदान, चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज रोड, बिलासपुर- 495001, सी.जी.
- 39 – अनिल कुमार पिता दिनेश प्रसाद सिंह निवासी वी 7 पी ओ – बभना, पी एस एंड जिला – जहानाबाद (बिहार) 804408
- 40 – रेंडा कुमार पटले पिता स्वर्गीय परसराम पटले निवासी महाराणा प्रताप वार्ड नंबर 20 पोस्ट व जिला – मुंगेली- 495334, छ.ग.
- 41 – गुलाब चंद पटेल पिता श्री बैसाखू राम पटेल निवासी ग्राम और पी ओ- कुम्हारी, पी एस- बिलाईगढ़ तहसील- कसडोल, जिला.- बलौदाबाजार पिन 493338, सी.जी.
- 42 – घनाराम पिता श्री मंगलू निवासी ग्राम उमरपोटी पोस्ट पुरई, थाना-उतई, जिला दुर्ग, छ.ग. 491107
- 43 – राजेश कुमार चौधरी पिता श्री पलटन चौधरी निवासी ग्रामअमारी, पी एस – धरहा, जिला मुंगेर (बिहार) 811212 20
- 44 – हरिशंकर देशलहरे पिता श्री रूपचंद देशलहरे निवासी केवट नवागांव, थाना- सुरेगांव, तहसील- डौंडीलोहारा, जिला बालोद- 491225
- 45 – काजल यादव पिता श्री चतरू यादव निवासी शांति नगर, दुर्गा पंडाल के पास, भिलाई-3, जिला दुर्ग (छ.ग. 049002)
- 46 – सहदेव यादव पिता श्री प्रकाश यादव निवासी ग्राम भरारी, पी ओ – सिंघारी, पी एस – रतनपुर, जिला – बिलासपुर- 495442, छ.ग.
- 47 – स्वराज पाल पासी पिता श्री जयराम पासी निवासी शिवशंकर किराना स्टोर्स, श्री राम मार्केट, सिरसा रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई – 490023, जिला दुर्ग, छ.ग.
- 48 – राकेश कुमार पिता श्री ललित कुमार निवासी डब्लू- 52, यदुनंदन नगर, तिफरा, बिलासपुर- 495001, छ.ग.
- 49 – सुमन कुमार पिता श्री कृष्ण कुमार सिंह निवासी ग्राम गहबर टोला, पी ओ-जितौरा, जिला। – भोजपुर (बिहार) 812159
- 50 – उपेन्द्र कुमार सिंह पिता श्री सुदामा सिंह निवासी सेक्टर- 4, गली- 11, प्र. क्रमांक 2081, जिला. बोकारो (झारखंड) 827004
- 51 – प्रदीप कुमार पुत्र श्री अयोध्या सिंह निवासी ग्राम-हरिदीबिगहा, थाना-मरोजहिया, जिला-रोहतास (बिहार)-821310



52 - राजेश कुमार पिता श्री चंडी प्रसाद सिंह निवासी गाँव घमरिया, पी ओ-बड, जिलारोहतास (बिहार)-
802214

53 - वीर बहादुर सिंह पिता श्री भीम सिंह निवासी गाँव तथा पोस्ट-अमियावर निवासी-रोहतास (बिहार)
821310

54-धर्मेन्द्र कुमार पिता स्वर्गीय रामबाबू राम निवासी ग्राम नासिरीगंज, जिला. रोहतास, (बिहार) पिन कोड
नंबर 821013

55 - निशांत कुमार पिता श्री गोरख साह निवासी ग्राम कस्तर, पी ओ- कस्तर महादेव वाया-बिक्रमगंज,
जिला-राहतास (बिहार) 802212

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 4039/2025

1 - भारत संघ - महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर -
495004 (सी.जी.)

2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर -
495004 (सी.जी.)

3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, जी.एम.एस.
कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)

4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर - 495004

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - राहुल कुमार बनर्जी पिता स्वर्गीय श्री खोलबहारा बनर्जी ,39 वर्ष बेरोजगार थे, गाँव तथा पोस्ट-
मुलमुला-495662 जिला- जांजगीर-चंपा (छत्तीसगढ़)

2 - विशाल पी लोखंडे पिता स्वर्गीय श्री पुंडलिकराव उम्र लगभग 34 वर्ष बेरोजगार, निवासी - प्लॉट नंबर
126, जय गंगा हाउसिंग सोसायटी गौरीबाबा नगर, कार्बी नागापुर - 440001।

3 - मोहेन्द्र कुमार जनार्दन पिता श्री मधु लाल जनार्दन उम्र लगभग 30 वर्ष बेरोजगार, निवासी - वार्ड क्रमांक
12, ग्राम- ज्वाली, सतनामी पारा, कोरबा - 495445 (छ.ग.)

4 - पप्पू कुमार पिता श्री बबन पासवान उम्र लगभग 34 वर्ष बेरोजगार, निवासी - मकान नंबर 233, कौशल
नगर, ऑफ पोलो रोड, पो - जीपीओ-800001 थाना- हवाई अड्डा, पटना (बिहार)



-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 2019/2025

- 1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495004
- 2 - मुख्य कार्मिक अधिकारी (भर्ती), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495004
- 3 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495004
- 4 - मंडल रेलवे प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495004

---- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - तीर्थ कुमार पाटले निवासी वारपिंडकेपर, पोस्ट बपेरा, तह. तुमसर, जिला.- भंडारा (महा.)441 915
- 2 - नंकिशोर मालाधरे निवासी पोस्ट- रविदास नगर, तुमसर, तह. तुमसर, जिला.- भंडारा (महा.)441912
- 3 - करुणा त्रिभुवन बागड़े नाग भूमि सोसायटी, मिसाल लेआउट, जरीपटका नागपुर (महा.)-440 014
- 4 - सुलभा मदनकर निवासी - अनिल हटवार, वन कार्यालय के पीछे, शिव नगर, तुमसर, जिला- भंडारा (महा.)-441 912
- 5 - सचिन बलवीर निवासी अंबोदा, पोस्ट-दहेगांव, तह. और जिला. वर्धा (महा.) - 442001
- 6 - तक्षशिला भीमटे निवासी प्लॉट नंबर 103, यशोधरा नगर, मडी मंदिर, कैम्पटी, जिला नागपुर (महा.) 441002
- 7 - विष्णु कंतोड़े निवासी पांजरा, पो कांद्री, तह. - मोहदी, जिला. भंडारा (महा.) - 441 914
- 8 - मंगेश खांडेकर निवासी-रामगढ़, रेलवे स्टेशन के पीछे, कैम्पटी, जिला नागपुर (महा.) - 441002
- 9 - विनोद बनकर निवासी देवसर्रा, पोस्ट-बपेरा, तह. तुमसर, जिला. भंडारा (महा.)-441 915
- 10 - वीरेंद्र नदेश्वर निवासी- पोस्ट-गिधाड़ी, तह. - गोरेगांव, जिला.गोंदिया (महा.)-441 801
- 11 - जयपाल राऊत निवासी-कुंभरे कॉलोनी, न्यू क्वार्टर। नंबर 65, कैम्पटी (महा.)-441 002
- 12 - महेंद्र वासनिक निवासी-गोंडीटोला, पोस्ट बपेरा, तह. तुमसर, जिला भंडारा (महा.)-441 915
- 13 - अंकुश राऊत निवासी पोस्ट- विरसी, तह. साकोली, जिला.भंडारा (महा.)-441 802



- 14 - सुरेश सोनवणे निवासी पोस्ट गोरेगांव, तह. - गोरेगांव, जिला.गोंदिया (महा.)-441 801
- 15 - निशांत रंगारी निवासी टेकेपार, पोस्ट आमगांव (दिघोरी), तह. और जिला. भंडारा (महा.)-441904
- 16 - नीलेश कुमार माने निवासी टेमनी, पोस्ट- भौरागढ़, तह. खैरलांजी, जिला.- बालाघाट (एम. पी.)481
337
- 17 - दिलीप कुमार महतो निवासी मुंडियादल, पोस्ट व तह. - चक्रधापुर, जिला. पश्चिमी सिंहभूम (झार.)
833 102
- 18 - माधुरी अशोक दहत निवासी रामगढ (आनंद नगर), कैम्पटी, जिला नागपुर (महा.)-441002
- 19 - ओंकार प्रसाद बरेठ निवासी खोखरा, पोस्ट खोखर, तह. जांजगीर, जिला.जांजगीर चांपा (छ.ग.)-
495 668
- 20 - नारायण राठौड़ निवासी भदौरा, तह. पेंड्रा रोड, पोस्ट सेनेटोरियम, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
495 117
- 21 - वीरेंद्र कुमार साहू निवासी मेहंदा, पोस्ट कुटरा, तह. जांजगीर, जिला. जांजगीर-चांपा (छ.ग.)-
495668
- 22 - बलराम केवट निवासी अमोरा, पोस्ट अमोरा, तह. नवागढ़, जिला. जांजगीर चांपा (छ.ग.)-495 668
- 23 - विकास कश्यप निवासी- पोस्ट और तह. - बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) - 495001
- 24 - विजय कुमार साहू निवासी 13, इंद्रा कॉलोनी, तह सिमगा, जिला बलौदा बाजार (छ.ग.)-493 195
- 25 - विश्वनाथ देवांगन निवासी 11 जनकपुर रोड, तखतपुर, तह. और जिला. तखतपुर, बिलासपुर (छ.ग.)-
495 330
- 26 - गौतम कुमार राणा निवासी बाराडोली, तह. पुस्सर, पोस्ट बाराडोली, जिला.रायगढ़ (छ.ग.)-496440
- 27 - दिलेश्वर दास निवासी - खोंगसरा, तह. कोटा, जिला.खोंगसरा, बिलासपुर (सी.जी.) - 495 116
- 28 - विजय सिंह मानसर निवासी-परसदा पोस्ट बनारी, तह. अकलतरा, जिला. जांजगीर चांपा (छ.ग.)-
495 668



- 29-नर्मदा प्रसाद साहू निवासी-ताह। एवं पोस्ट मुंगेली, जिला.मुंगेली (छ.ग.)-495 334
- 30 - अनिल कुमार साहू निवासी पोस्ट लौदा, तह. पथरिया, जिला.मुंगेली (छ.ग.)-495 335
- 31 - अनिल कुमार निवासी भाटापारा, तह सिग्मा, पोस्ट हटबैंड, जिला बलौदाबाजार (छ.ग.)-493 113
- 32 - थानेश्वर कुमार निवासी झिरत्या, तह सिग्मा, पोस्ट कामता, जिला।बलौदाबाजार (छ.ग.)-493101
- 33 - चुरामन कुमार निवासी ग्राम एवं पोस्ट रोहरा (भाटापारा) ताह सिग्मा, जिला. बलौदाबाजार भाटापारा (छ.ग.)-493 118
- 34 - राजेश कुमार कश्यप निवासी- भाटापारा, पोस्ट नैला, तह. जांजगीर, जिला.जांजगीर-चांपा (छ.ग.)-495 668
- 35 - बिसाहू राम साहू निवासी तह भाटापारा, पोस्ट मोपका, जिला बलौदाबाजार (छ.ग.)-493 118
- 36- गिरीश कुमार निवासी तह. भाटापारा, पोस्ट निपनिया, जिला. बलौदाबाजार (छ.ग.)-493 118
- 37 - वंशराज निवासी-ताह। मस्तूरी, पोस्ट कोसीर, जिला.- बिलासपुर (छ.ग.)-495554
- 38 - राजेश कुमार निवासी तह. मस्तूरी, पोस्ट कोसीर, जिला.- बिलासपुर (छ.ग.)-495554
- 39-जितेन्द्र कुमार खरे निवासी- तह. मस्तूरी, पोस्ट सीपत (एनटीपीसी) जिला बिलासपुर (छ.ग.)-495555
- 40 - अंगेश कुमार सोरी निवासी-टाह। दुर्ग, पोस्ट सिविक सेंटर भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.)-490006
- 41 - राजेंद्र प्रसाद धिरितलहरे निवासी मालदा, तह. सारंगढ़, पोस्ट पासी, जिला.- रायगढ़ (छ.ग.)-496 450
- 42 - रूपेश कुमार रात्रे निवासी- भुचीहरदी, पोस्ट अकलतरू, तह. बोलोदा, जिला. जांजगीर चांपा (छ.ग.)-495559
- 43 - तिलेश्वरी साहू निवासी हरोई कला (टोना), तह. बिलासपुर पोस्ट हरोई कला (टोना) जिला. बिलासपुर (छ.ग.)-495 688



44 - दिलीप कुमार बरेठ निवासी- तह. एवं पोस्ट डभरा, जिला.जांजगीर-चांपा (छ.ग.)-495 688

45 - विजय कुमार जयशवाल निवासी पोंडी, तह. कोटा, पोस्ट बिलिबैंड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)-

495 113

46 - अरुण कुमार निवासी-प्रबन्दा, पोस्ट फाजिलपुर, जिला-बेगूसराय (बिहार)-851 127

47 - हेमन्त कुमार बरेठ निवासी तह. डभरा, पोस्ट कटेकोनी (छोटे), जिला.जांजगीर चांपा (छ.ग.)-

495 688

48-कुलदीप कुमार कर्ष निवासी-टाह। सारंगढ़, पोस्ट कोसीर, जिला. रायगढ़ (छ.ग.)-496445

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 7198/2024

1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर - 495004

(सी.जी.)

2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, एनेक्स बिल्डिंग, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर -

495004

3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, एनेक्स बिल्डिंग, जी.एम.एस.

कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)

4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी एस. ई. सी. रेलवे बिलासपुर जोन मुख्यालय बिलासपुर-495004

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - संतोष कुमार गोंड पिता श्री दिनेश प्रसाद गोंड निवासी ग्राम- बस्ताकोला एनई वर्मा बंगला पो ढासर थाना। झरिया जिला - धनबाद (बिहार) 828106

2 - महेश कुमार पिता श्री राम उदगार महतो निवासी ग्राम- लालपुर पो0 मुरादपुर वाया रोसेरा जिला- समस्तीपुर (बिहार) पिन कोड नं. 824210

3 - अखिलेश कुमार पुत्र श्री रामाशीष दास निवासी ग्राम- एकडंगा पो एकडंगा थाना बेलछी जिला - पटना (बिहार) 803213



- 4- राकेश कुमार पुत्र श्री भूषण मंडल निवासी ग्राम माधोपुर (बाराकुवा) पो. बासुदेवपुर थाना कोतवाली जिला- मुंगेर (बिहार) 811202
- 5 - धीरज कुमार पिता श्री बीरेंद्र शर्मा निवासी बिहटा पो. अलीपुर प.स. बख्तियारपुर वाया खुसरूपुर जिला - पटना (बिहार) पिन नंबर 803202
- 6 - रोहित कुमार पिता श्री राजेंद्र प्रसाद निवासी ग्राम खलासपुर थाना। गवे पी.एस. शेखपुरा जिला - शेखपुरा (बिहार) पिन कोड नंबर 811105
- 7-अवधेश कुमार पिता स्वर्गीय श्री सहदेव दास निवासी ग्राम महमदा पो पट्टम थाना नया राम नगर जिला- मुंगेर (बिहार) पिन कोड 811214
- 8 - चंदन कुमार राय पिता श्री अशोक कुमार राय निवासी ग्राम- दिहरमा पो महुअत थाना सोनहन जिला- कैमूर (भभून) पिन कोड नंबर 821108 (बिहार)
- 9 - रवि रंजन कुमार पिता श्री विनोद प्रसाद निवासी ग्राम- जवनिया पो दरियोरा थाना आमस जिला - गया (बिहार) पिन कोड नंबर 824211
- 10 - नरेन्द्र कुमार कुचलाहे पिता श्री जय प्रसाद कुचलाहे निवासी ग्राम- कटंगी पो0 बिसोनी तह. लांजी जिला बालाघाट (मप्र) पिन कोड 481222
- 11 - रोहित कुमार गुप्ता पिता श्री मदन प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम- अक्रिय सुडियो शॉप नंबर 05 सेक्टर नंबर 12/ए पो बोकारो स्टील सिटी पिन कोड नंबर 827012 (झारखंड)
- 12- गुलाम अहमद नूरी पिता मो.अब्दुल हलीम निवासी ताज नगर टेका अज़िया किराना स्टोर्स पंचशील रोड नागपुर पिन कोड नंबर 440017 (महाराष्ट्र)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 4020/2025

- 1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)
- 2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)
- 3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)



4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर - 495004

--- याचिकाकर्ता

बनाम

शिव पूजन पिता श्री दर घई राम उम्र लगभग 35 वर्ष बेरोजगार, निवासी- सी/988, आवास विकास कॉलोनी
इंदुबिहार जिला- प्रतापगढ़ (ऊपर) - 230001

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 7469/2024

1 - भारत संघ महाप्रबंधक एस. ई. सी., रेलवे बिलासपुर क्षेत्र मुख्यालय कार्यालय बिलासपुर-495004

(सी. जी.)

2 - अध्यक्ष रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एनेक्स भवन जी. एम. एस. कार्यालय बिलासपुर

495004 (सी. जी.)

3 - सहायक कार्मिक अधिकारी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अनुलग्नक भवन जी. एम. एस.

कार्यालय बिलासपुर-495004 (सी. जी.)

4-मुख्य कार्मिक अधिकारी एस. ई. सी. रेलवे बिलासपुर जोन मुख्यालय बिलासपुर-495004 (सी. जी.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - लज्जा राम मीना पिता श्री बनवारी लाल मीना निवासी ग्राम व पोस्ट भजिया तहसील ताड़भीम जिला -
करौली (राजस्थान)

2 - नरसी राम मीना पिता श्री जानसी राम मीना निवासी ग्राम पाली पोस्ट बहाडकोकला तहसील राजगढ़
जिला-अलवर (राजस्थान)

3 - आशीष राम कृष्ण चकोले पिता श्री रामकृष्ण टी. चकोले निवासी ग्राम पंढराबोली पोस्ट वारथी तहसील
और जिला - भंडारा (महाराष्ट्र) - 441905

4 - प्रेमराज मीना पिता श्री प्यारे लाल मीना निवासी ग्राम ताजपुरा डाबर जिला-सवाई माधोपुर (राजस्थान)

5 - केदार प्रसाद मीना पिता श्री शिम्भू दयाल मीना निवासी ग्राम बिचला बास मालवार पोस्ट शेखपुरा जिला-
दौसा (राजस्थान)



- 6 - धारा सिंह मीना पिता श्री मुथ्रया मीना निवासी ग्राम व पोस्ट नांदड़ी तहसील सिकराय जिला - दौसा (राजस्थान)
- 7 - नरेश मीना पिता श्री रामेश्वर लाल मीना निवासी ग्राम व पोस्ट बायद कॉलोनी मंडावर तहसील महवा जिला-दौसा (राजस्थान)
- 8 - भगवान सहाय मीना पिता श्री धनीराम मीना निवासी ग्राम व पोस्ट खोहरा तहसील ताड़भीम जिला करौली (राजस्थान)
- 9 - दिनेश चंद मीना पिता मिथ्या लाल मीना निवासी ग्राम छोटी उदय व पोस्ट महुकला तहसील गमगापुर सिटी जिला - सवाई माधोपुर (राजस्थान) 322202
- 10 - विक्रम मीना पिता श्री रामकेश मीना निवासी ग्राम धोरेरा अखरिया लोहारई जिला - करौली (राजस्थान) 322243
- 11 - महेंद्र कुमार मीना पिता श्री राम प्रसाद मीना निवासी ग्राम कमालपुरा जिला - करौली (राजस्थान) 322213
- 12 - कुदु राम मीना पिता श्री भरत लाल मीना निवासी ग्राम हेरापुर तहसील गंगापुर सिटी जिला - सवाई माधोपुर (राजस्थान) 322202
- 13 - लेखराज मीना पिता श्री बट्टी लाल मीना निवासी ग्राम नारायणपुर तहसील गंगापुर सिटी जिला - सवाई माधोपुर (राजस्थान) 322202
- 14 - मुकेश चंद मीना पिता श्री लीला राम मीना निवासी ग्राम मनोठा कलां तहसील नगर जिला - भरतपुर (राजस्थान 321205)
- 15 - पूरण मीना पिता श्री राम स्वरूप मीना निवासी ग्राम तिगरिया तहसील कठूमर जिला - अलवर (राजस्थान) 321607
- 16 - मनोज कुमार बुनकर पिता श्री कालूराम बुनकर निवासी ग्राम खोरा मीना जिला - जयपुर (राजस्थान) 303502
- 17 - राजेंद्र मीना पिता श्री राजाराम मीना निवासी ग्राम सांथा तहसील महुवा जिला-दौसा (राजस्थान) 321612
- 18 - हनुमान प्रसाद मीना पिता श्री कालूराम मीना निवासी ग्राम व पोस्ट बहरी तहसील लालसोट जिला - बौसा (राजस्थान) 321612



- 19 - हरकेश मीना पिता श्री घुड़या राम मीना निवासी ग्राम 82/बी- 10 बाल नगर करतारपुरा जिला-जयपुर (राजस्थान)
- 20 - पप्पू राम मीना पिता श्री जसराम मीना निवासी ग्राम व पोस्ट बंदेरू तहसील टोडाभीम जिला - करौली (राजस्थान)
- 21 - पप्पू राम मीना पिता श्री हरजे लाल मीना निवासी ग्राम व पोस्ट कालवान तहसील सिकराय जिला - दौसा (राजस्थान)
- 22 - राम प्रकाश मीना पिता श्री गुल्या राम मीना निवासी ग्राम व पोस्ट सुरेर तहसील राजगढ़ जिला अलवर (राजस्थान)
- 23 - छुट्टन लाल मीना पिता श्री राम भरोसी मीना निवासी ग्राम व पोस्ट जगजीवनपुर तहसील वेरी जिला- भरतपुर (राजस्थान)
- 24 - धवले मीना पिता श्री कमल सिंह मीना निवासी ग्राम लीलौटी पोस्ट भझेडाई तहसील हिंदुअन शहर जिला - करौली (राजस्थान)
- 25 - ऋषि राज मीना पिता श्री राम स्वरूप मीना निवासी ग्राम व पोस्ट गावडा मीना तहसील हिंदुअन शहर जिला - करौली (राजस्थान)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 23/2025

- 1 - भारत संघ महाप्रबंधक से एस. ई. सी. रेलवे, बिलासपुर क्षेत्र, मुख्यालय, कार्यालय बिलासपुर-495004 (सी. जी.)
- 2 - अध्यक्ष रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अनुलग्नकभवन, जी. एम. एस. कार्यालय बिलासपुर-495004 (सी. जी.)
- 3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एनेक्सभवन, जी. एम. एस. कार्यालय बिलासपुर-495004 (सी. जी.)
- 4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस. ई. सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर-495004

--- याचिकाकर्ता

बनाम



दीपोनिवासी मजूमदार दामाद निवासी हरनमाय मजूमदार, निवासी शिवाजी मार्ग, टिकरापारा, बिलासपुर-
495001 (सी. जी.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 2023/2025

- 1 - भारत संघ -महाप्रबंधक, एस. ई. सी. रेलवे, बिलासपुर क्षेत्र, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर-495004 (सी. जी.)
- 2 - अध्यक्ष रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अनुलग्नकभवन, जी. एम. एस. कार्यालय, बिलासपुर-495004 (सी. जी.)
- 3 - सहायक कार्मिक अधिकारी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक, भवन, जीएम कार्यालय, बिलासपुर-495004 (सी. जी.)

- 4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी एस. ई. सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय बिलासपुर-495004

--- याचिकाकर्ता

बनाम


प्रवीण कुमार मांझी निवासी-गाँव-पंगुरा, पो-बरेडीह थाना, बुंडू, जिलारांची पिन-835225 (झारखंड)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 2037/2025

- 1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर 495004 छत्तीसगढ़
- 2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नकभवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर 495004 छत्तीसगढ़।
- 3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नकभवन, जी. एम. एस. कार्यालय, बिलासपुर-495004 सी. जी.
- 4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी एस. ई. सी. रेलवे, बिलासपुर क्षेत्र, मुख्यालय बिलासपुर 495004।

--- याचिकाकर्ता





बनाम

राम कुमार कैवर्त निवासी ग्राम नवागांव (मोहदा) थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर पिन 495442 छत्तीसगढ़।

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 2027/2025

- 1 - भारत संघ -महाप्रबंधक, एस. ई. सी. रेलवे, बिलासपुर क्षेत्र, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर-495004 (सी. जी.)
- 2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एनेक्सभवन, जीएमएस कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सीजी.)
- 3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, एनेक्स भवन, जीएमएस कार्यालय, बिलासपुर- 495004 (सीजी.)
- 4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एसईसी रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर- 495004

--- याचिकाकर्ता

बनाम

नितेश बघेल पिता श्री श्याम बघेल उम्र लगभग 27 वर्ष बेरोजगार, निवासी - वार्ड क्रमांक 16, महात्मा गांधी वार्ड, सिवनी प्राण मोती, जिला छिंदवाड़ा पिन - 480001 (एमपी)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 2022/2025

- 1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर- 495004 (सी.जी.)
- 2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एनेक्स बिल्डिंग, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर- 495004 (सी.जी.)
- 3 - प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर 495004

--- याचिकाकर्ता

बनाम



मनोज कुमार बिस्वकर्मा, निवासी वार्ड संख्या 4, दीनदयाल नगर, सैय्यदराजा, चंदोली, जिला चंदोली (उत्तर प्रदेश), 232110

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 2026/2025

- 1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर- 495004, छत्तीसगढ़
- 2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एनेक्स भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर- 495004, छत्तीसगढ़।
- 3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एनेक्स भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर- 495004, छत्तीसगढ़।
- 4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर- 495004

--- याचिकाकर्ता

बनाम

राहुल राज निवासी गाँव तथा पोस्ट-धरमपुर, निवासी एस.-नूरसराय जिला नालंदा, पिन-803120, बिहार।

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 2016/2025

- 1 - भारत संघ अपने महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (सी. जी.)-495004
- 2 - मुख्य कार्मिक अधिकारी (भर्ती), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (सीजी.) - 495004
- 3 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (सीजी.) - 495004
- 4 - मंडल रेलवे प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (सीजी.) - 495004

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1- देशराज साहू निवासी ग्राम व वार्ड- पड़रिया, पोस्ट व तह. तखतपुर, जिला.बिलासपुर (छ.ग.)-495330



2 - डोमन राम साहू निवासी ग्राम- पारागांव कलां, पोस्ट- पारागांव खुर्द, तह.- डोंगरगढ़, जिला.

- राजनांदगांव (छ.ग.)-491445

3 - तितिरमारे कोमल सूर्यभान निवासी एट बोथाली, पोस्ट मोहगांव (देवी), तह.- मोहदी, जिला.- भंडारा

(महा.) - 441905

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 1953/2025

1 - भारत संघ - महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर -

495004 (सी.जी.)

2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर -

495004 (सी.जी.)

3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, जी.एम.एस.

कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)

4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी एस. ई. सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय बिलासपुर-495004।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

उपेन्द्र कुमार पासवान निवासी गाँव तथा पो-रायतर, पी एस.-गिरियाक जिला- नालंदा (बिहार) पिन-

803109

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 2030/2025

1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर - 495004

(सी.जी.)

2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर -

495004 (सी.जी.)

3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, जी.एम.एस.

कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)



4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन मुख्यालय, बिलासपुर - 495004

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - दिलीप तिग्गा पिता स्वर्गीय विलीम तिग्गा उम्र लगभग 41 वर्ष, बेरोजगार निवासी ब्रम्हदाई पारा, खमतराई जिला-नालंदा (बिहार) पिन 803109 डब्ल्यू.आर.एस. कॉलोनी रायपुर पिन - 492008 (सी.जी.)

2 - योश्वर पिता नकुल राम साहू उम्र लगभग 33 वर्ष बेरोजगार निवासी ग्राम कुलई पोस्ट कनेरी थाना गुरुर जिला - बालोद पिन 491227 (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 2158/2025

1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)

2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, संलग्न भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)

3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, संलग्न भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)

4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन मुख्यालय, बिलासपुर - 495004

--- याचिकाकर्ता

बनाम

रविकांत कुमार पिता श्री विजय प्रसाद पिता 28 वर्ष की आयु निवासी बेरोजगार गाँव तथा पी ो मरांची थाना परैया जिला-गया पिन 824209 (बिहार)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 2159/2025

1 - भारत संघ महाप्रबंधक , एस. ई. सी. रेलवे, बिलासपुर क्षेत्र, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर-495004 छत्तीसगढ़



2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, संलग्न भवन, जीएमएस कार्यालय, बिलासपुर - 495004 छत्तीसगढ़

3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, संलग्न भवन, जीएमएस कार्यालय, बिलासपुर - 495004 छत्तीसगढ़

4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एसईसी रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर - 495004

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

नरेंद्र कुमार पिता श्री चंपू लाल पिता 35 वर्ष निवासी बेरोजगार निवासी गाँव तथा पो भाईस्बोद, थाना बालोद
पिन 491226 जिला जिला बालोद छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 2121/2025

1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे के द्वारा , बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर- 495004 (सी.जी.)

2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एनेक्स बिल्डिंग, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर- 495004 (सी.जी.)

3 - प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर- 495004

--- याचिकाकर्ता

बनाम

दिनेश कुमार पिता श्री राम प्रकाश, उम्र लगभग 34 वर्ष, वर्तमान में बेरोजगार, निवासी-भेजाडीह, पोस्ट-
लगुनिया रघुकान्त, थाना-मुफस्सिल, जिला समस्तीपुर (बिहार)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 2892/2025



1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे,के द्वारा बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)

2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)

3 - प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर - 495004

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

सुजीत कुमार पिता श्री सतीश मंडल 31 वर्ष निवासी बेरोजगार, निवासी-गाँव-फरीदपुर पोस्ट-जमालपुर-811214 जिला- मुंगेर (बिहार)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 2918/2025

1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे के द्वारा , बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर-495004 (सी.जी.)

2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर- 495004 (सी.जी.)

3 - प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर- 495004

--- याचिकाकर्ता

बनाम

किशोर कुमार पिता श्री सुरेश प्रसाद उम्र लगभग 32 वर्ष बेरोजगार, निवासी ग्राम क्रिमुद्दीन चक पोस्ट अकौना-804452 जिला पटना (बिहार)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 2912/2025

1 - भारत संघ, महाप्रबंधक के द्वारा , एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर-495004 (सी.जी.)

2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर-495004 (सी.जी.)



3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर- 495004 (सी.जी.)

4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर- 495004

---- याचिकाकर्ता

बनाम

गौरी शंकर साहू पिता श्री जगदीश प्रसाद साहू उम्र लगभग 31 वर्ष बेरोजगार, निवासी ग्राम व पोस्ट खमरिया, थाना-सीपत, ब्लॉक-मस्तूरी, जिला-बिलासपुर छ.ग. पिन 495559

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 2915/2025

1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. के द्वारा . रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर - 495004 छत्तीसगढ़

2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर - 495004 छत्तीसगढ़

3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर - 495004 छत्तीसगढ़

4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी एस. ई. सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय बिलासपुर-495004

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - राकेश कुमार सूर्यवंशी पिता श्री रामाधार सूर्यवंशी उम्र लगभग 34 वर्ष बेरोजगार, निवासी ग्राम छतौना, पो - हिरी माइंस, तहसील - तखतपुर, जिला बिलासपुर - 495222

2 - प्रमोद कुमार सिंह पुत्र श्री जय प्रकाश सिंह उम्र लगभग 33 वर्ष बेरोजगार, निवासी गली नंबर 4, प्लॉट नंबर 76, विवेकानंद नगर, कोहका हाउसिंग बोर्ड, जुनवानी, भिलाई - 490001 जिला दुर्ग

3 - रवींद्र प्रताप पिता श्री शिवपिता पटेल लगभग 32 वर्ष निवासी बेरोजगार, सदर, रतनपुर, जिलाबिलासपुर पिन-452442

-----उत्तरवादीगण



रिट याचिका सेवा सं 2920/2025

- 1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)
- 2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, एनेक्स बिल्डिंग, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)
- 3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, एनेक्स बिल्डिंग, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)
- 4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन मुख्यालय, बिलासपुर - 495004

--- याचिकाकर्ता

बनाम

जीतेंद्र सिंह बाजगोती पिता श्री राम सिंह बाजगोती उम्र लगभग 36 वर्ष बेरोजगार निवासी रेलवे क्वार्टर नंबर आरबीआई / 44/ए रेलवे वार्ड बल्लारपुर तहसील बल्लारपुर - 442701 जिला - चंद्रपुर (सुश्री)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 2891/2025

- 1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेल, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, कार्यालय, बिलासपुर 495004 (छत्तीसगढ़)।
- 2 - अध्यक्ष, रेल भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर 495004, छत्तीसगढ़।
- 3 - प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेल, बिलासपुर 495004।

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

रोशनी यादव पिता मिलाप राम यादव उम्र लगभग 28 वर्ष वर्तमान में बेरोजगार, निवासी केतन प्रिंटिंग प्रेस, होटल अमन पैलेस के सामने, शिवरी नारायण, जिला जांजगीर चांपा, छ.ग. 495557 मोबाइल नंबर 7415676784।

-----उत्तरवादीगण



रिट याचिका सेवा सं 2929/2025

- 1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे के द्वारा , बिलासपुर जोन, मुख्यालय, कार्यालय बिलासपुर-495004, छत्तीसगढ़
- 2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एनेक्स भवन, जी.एम.एस. कार्यालय बिलासपुर- 495004, छत्तीसगढ़।
- 3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एनेक्स भवन, जी.एम.एस. कार्यालय बिलासपुर- 495004, छत्तीसगढ़।
- 4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी एस. ई. सी. रेलवे, बिलासपुर क्षेत्र, मुख्यालय बिलासपुर-495004

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1-सतीश कुमार निर्मलकर पिता श्री कन्हैया लाल निर्मलकर उम्र लगभग 28 वर्ष बेरोजगार, निवासी ग्राम व पोस्ट- रसौता- 495559, वाया- बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़।
- 2 - बसंत कुमार यादव पिता श्री सुशील यादव उम्र लगभग 27 वर्ष बेरोजगार, निवासी यादव मोहल्ला, वार्ड नंबर 6, ग्राम- निरतू, पो.-घुटकू, 495112, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- 3 - जीतेन्द्र कुमार पटेल पिता श्री भगवत प्रसाद पटेल उम्र लगभग 31 वर्ष बेरोजगार, निवासी ग्राम एवं पो.- घुटकू, 495112, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- 4 - प्रवीण कुमार रजक पिता श्री लखनलाल रजक उम्र लगभग 32 वर्ष बेरोजगार, निवासी ग्राम व पोस्ट- लमेर- 495112, वाया- गनियारी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 2943/2025

- 1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे के द्वारा , बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर - 495004 छत्तीसगढ़
- 2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर - 495004 छत्तीसगढ़
- 3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर - 495004 छत्तीसगढ़
- 4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर - 495004



--- याचिकाकर्तागण

बनाम

विजयेंद्र पाटनवार पिता श्री विश्वनाथ पाटनवार उम्र लगभग 31 वर्ष बेरोजगार, निवासी ग्राम बिटकुली, तहसील
- मस्तूरी पो बिटकुली - 495559 जिलाबिलासपुर छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 2910/2025

1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर - 495004
(सी.जी.)

2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर -
495004 (सी.जी.)

3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, महाप्रबंधक
कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)

4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर - 495004

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

पुष्पलता सागर (अब पुष्पलता चौहान), पिताश्री धन्नूरम सागर, उम्र लगभग 33 वर्ष, पत्नी श्री दीपक कुमार
चौहान, बेरोजगार, निवासीओल्ड पावर हाउस, वर्मा पान की दुकान के पास, देवरीखुर्द, बिलासपुर पिन कोड -
495001 (सी.जी.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 8558/2024

1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर 495004
छत्तीसगढ़

2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती सेल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, एनेक्स बिल्डिंग, जी.एम.एस. कार्यालय,
बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 495004



3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अनुलग्नक भवन, जीएमएस कार्यालय, बिलासपुर -495004 छत्तीसगढ़

4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एसईसी रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय बिलासपुर-495004

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

1-जितेन्द्र रजक पिता श्री कार्तिक रजक निवासी क्वा. नंबर बी3/सीडी, बी-टाइप कॉलोनी पो हरिहरपुर/ (गोमो) -828401 जिला।धनबाद (झारखंड)

2 - संजूलता खूंटे पिता श्री मलेच राम खूंटे, निवासी पो सुतिउरकुली जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़, पिन कोड नंबर 493338

3 - जानकी बाई साहू पिता श्री राम नारायण साहू पति श्री ज्ञानचंद साहू निवासी प्र. 233/3, वीआईपी नगर, रिसाली, भिलाई नगर, जिला.दुर्ग छत्तीसगढ़ 490006

4 - नानू कुमार यादव पुत्र श्री भरत लाल यादव, निवासी ग्राम बोकारेल, पो सपिया (अडभार) तहसील मालखरौदा, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ - 495695

5-राजेन्द्र कुमार पिता स्व.स्वर्गीय भूना भूना, निवासी ग्राम नवागांव (थाना) कोटा, तह. कोटा, बिलासपुर-495113

6 - श्यामू कैवर्त पिता श्री जनक राम कैवर्त निवासी ग्राम जलसा, पो. सेमरथान तहसील व जिला बिलासपुर-495009

7-लक्ष्मण केवर्त पिता स्व.श्री राजूलाल केवर्त, निवासी ग्राम एवं पो सीज थाना रतनपुर जिला बिलासपुर 495443(बिहार) पिन कोड नंबर 811214

8 - बाबूलाल चौहान पिता श्री मुनीराम चौहान, निवासी ग्राम लारा, पोस्ट कोंडपाली तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ पिन कोड नंबर 496440 (सी.जी.)

9- शिव कुमार कैवर्ती, पिता श्री राजकुमार कैवर्ती, निवासी ग्राम सामरिया डी एंड पोस्ट कोसा, थाना मुलमुला, तहसील पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा-495663

10- श्यामलाल यादव पिता श्री मोहन लाल साहू, निवासी ग्राम।लगरा, पोस्ट पकरिया 495553 तहसील पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़



- 11 – राकेश कुमार साहू पिता स्वर्गीय मोतीलाल साहू निवासी ग्राम व पोस्ट सिल्ली 495554 थाना मुलमुला, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़
- 12 – प्रेमशंकर विश्वकर्मा पिता स्वर्गीय पिताशव प्रसाद विश्वकर्मा निवासी वार्ड संख्या 21 सरस्वती चौक, चरोदा, भिलाईज, जिला दुर्ग 490025
- 13 – प्रदीप कुमार पिता श्री देवनंदन मंडल पुत्र गाँव पिताडवार, पो घोवा, तहसील कलगाँव निवासी।भागलपुर (बिहार)
- 14 – अशोक कुमार पिता श्री प्रयाग राय, निवासी गाँव तथा पोस्ट इटाध्या इथरिया, पी. पिता काराकट, जिला, रोहतास-802220
- 15 – राजेश कुमार ढोपिता पिता श्री दयराम ढोपिता निवासी एम आई जी -54, वेंकटेश नगर, 12-बंगला, इटारसी 461111 जिलाहोशंगाबाद (एम. पी)
- 16-प्रमोद कुमार पिता श्री सतपाल निवासी कुंजा बहादुरपुर पो इकबालपुर-247668, तह। भगवानपुर, जि.हरिद्वार।
- 17 – भुनेश्वर प्रसाद पिता श्री कालू राम निवासी वार्ड संख्या 3, सदन संख्या 85 सदकपारा, चांदखुरी-491221, जिलादुर्ग (छ.ग)
- 18 – लोकेश कुमार पिता श्री शत्रुघ्न प्रसाद, निवासी बस/स्टैंड के पास, डूमरदीन उतई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ - 491107
- 19 – तुषार कुमार लहरे पिता श्री तुला राम लहरे निवासी पुरानी पानी टंकी के पास, गोगांव, पो. गुड़ियारी, रायपुर छत्तीसगढ़ - 492001
- 20 – शुभम् केवर्त पिता श्री बाबूलाल केवर्त निवासी कैलाश कॉलोनी, तहसील कार्यालय के पास, पो0 मुंगेली छत्तीसगढ़ 495334
- 21 – कृष्णा राठौड़ पिता श्री तुला राम राठौड़, पत्नी श्री रविशंकर राठौड़, निवासी मकान नंबर 300, समृद्धि साइबर कैफे के पास, नारियल कोठी दयाल बांध, बिलासपुर छत्तीसगढ़ 495001
- 22 – एम. सोनी पिता श्री एम. वेंकट राव, निवासी सन्यासीपारा, खमतराई रायपुर-492001 (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण



- 1 - भारत संघ, महाप्रबंधक के द्वारा, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर, 495004, छत्तीसगढ़
- 2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एनेक्स भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर-495004, छत्तीसगढ़।
- 3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एनेक्सभवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर- 495004, छत्तीसगढ़।
- 4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर, 495004

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1-योगेन्द्र कुमार राम पिता श्री शिवनाथ राम निवासी ग्राम बीमावन के मठिया, पी ओ - बीमावन जिला भोजपुर (बिहार) 803152
- 2 - रणजीत कुमार पिता श्री कन्हैया सिंह निवासी ग्राम भोपतपुर, डाकघर सिरिस, थाना बारुण जिला औरंगाबाद (बिहार) 824112
- 3 - पंकज कुमार पिता श्री लखन पासवान निवासी ग्राम गोसाईमठ, पोस्ट ऑफिस फुलवारी शरीफ, पोस्ट ऑफिस - मुबारकपुर, जिलापटना (बिहार) 801505
- 4- अजीत कुमार पिता श्री दूधेश्वर सिंह निवासी ग्राम।गिनाजा, पी एस - जम्होर, जिला औरंगाबाद (बिहार) 824121
- 5 - मनीषा कुमारी पिता श्री बिनोद कुमार सिंह निवासी मालती भवन, राजकुमार नगर, रोड नंबर 20, दंडीबाग रोड, चांद चौरा, विष्णुपथ गया (बिहार) 823001
- 6- अजीत कुमार पिता श्री विजय कुमार सिंह निवासी ग्रामतरवान, पी एस वजीरंगन, जिला गया (बिहार) 805128
- 7 - विनय कुमार पिता श्री राम रतन प्रसाद निवासी ग्राम बभनी, पी ओ पहरा, पी एस परिया, जिला गया (बिहार) 824118
- 8- भागीरथी बैरवा पिता श्री एतावा बैरवा निवासी ग्राम नंदपुर, पी ओ मनोहरपुर, जिला पश्चिमी सिंहभूम (झारखंड) 833104



-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 7199/2024

- 1 - भारत संघ महाप्रबंधक के द्वारा, एस. ई. सी. रेलवे, बिलासपुर क्षेत्र, मुख्यालय, कार्यालय, बिलासपुर-495004 (सी. जी.)
- 2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एनेक्स।भवन, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर-495004 (सीजी.)
- 3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एनेक्स।भवन, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर- 495004 (सीजी.)
- 4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर - 495004 (सीजी.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - कोमल प्रसाद पटेल, पुत्र श्री रामू पटेल, निवासी ग्राम दभरखुर्द, डाकघर बिरा, तहसील चंपा, जिला जांजगीर- चंपा (सीजी.) 495661
- 2 - विजय कुमार निर्मल, पुत्र श्री रामनंदन यादव, निवासी ग्राम लभरी, डाकघर केराप, थाना रफीगंज, जिला औरंगाबाद (बिहार) 824125
- 3 - राकेश रंजन पुत्र श्री बिहारी सिंह, निवासी ग्राम बिराहिमा, पो0- पलुहारा, वाया शेरघाटी जिलागया (बिहार) 821211
- 4 - सुमित कुमार पुत्र श्री रामसंदेश प्रसाद, निवासी ग्राम अहियापुर, पो0-अकौना, थाना-गोह, जिला - औरंगाबाद (बिहार) 824203
- 5 - राजीव कुमार पिता श्री राम बिलास पासवान, निवासी ग्राम अदलपुर (पो) धारहरा द-धारहरा जिला- मुंगेर-811212

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 354/2025



1 - भारत संघ महाप्रबंधक एस. ई. सी. के द्वारा, रेलवे बिलासपुर क्षेत्र मुख्यालय कार्यालय बिलासपुर-495004 (सी. जी.)

2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती सेल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, एनेक्स बिल्डिंग, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर - 492004 (सी.जी.)

3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती सेल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, एनेक्स बिल्डिंग, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)

4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन मुख्यालय, बिलासपुर - 495004

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

विवेक रंजन पिता स्वर्गीय श्री नगीना प्रसाद चौधरी निवासी ग्राम लदौरा पी ओ. सुभाईगढ़ पी एस तरियानी
चापड़ा जिला-शिवहर पिन-842128 (बिहार)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 3149/2025

1 - भारत संघ, महाप्रबंधक के द्वारा, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, कार्यालय, बिलासपुर 495004 छत्तीसगढ़

2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर 495004 छत्तीसगढ़।

3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर 495004 छत्तीसगढ़।

4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर - 495004।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

नेहरू लाल पिता श्री मुरली राम श्रीवास 44 वर्ष निवासी बेरोजगार, ग्राम परसडीह पोस्ट भंडेरा-491226
जिला बालोद छत्तीसगढ़।

-----उत्तरवादीगण



रिट याचिका सेवा सं 4975/2025

- 1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. के द्वारा, रेलवे, बिलासपुर जोन मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)
- 2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, संलग्न भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)
- 3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, संलग्न भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सी.जी.)
- 4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी एस. ई. सी. रेलवे बिलासपुर जोन मुख्यालय बिलासपुर-495004 (सी. जी.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - मधुसूदन कान्वत पिता श्री कृष्ण कुमार कान्वत 30 वर्ष बेरोजगार, निवासी ग्राम बरगावा तहसील अकलतारा जिला-जांजगीर-चंपा (सी. जी.)
- 2 - सुरेश कुमार कुंभकर पिता स्वर्गीय दिलहरनलाल कुंभकर 35 वर्ष निवासी बेरोजगार ग्राम बरगावा तहसील अकलतारा जिला-जांजगीर-चंपा (सी. जी.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 4953/2025

- 1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे के द्वारा, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर- 495004 (सीजी)
- 2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर- 495004 (सीजी)
- 3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर- 495004 (सीजी)
- 4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर- 495004

--- याचिकाकर्ता

बनाम



दिनेश कुमार पिता श्री अमीरा राम लगभग 34 वर्ष निवासी बेरोजगार, निवासी गाँव-सालसाला पी ओ-
सालसाला, पी. पिता-नवानगर, निवासीसथ निवासीसथ जिला-बक्सर पिन 802125 (बिहार)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 4659/2025

- 1 - भारत संघ -महाप्रबंधक, एस. ई. सी. रेलवे के द्वारा, बिलासपुर क्षेत्र, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर-
495004 (सी. जी.)
- 2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन महानिदेशक कार्यालय, बिलासपुर -
495004 (सीजी)
- 3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन महानिदेशक
कार्यालय, बिलासपुर - 495004 (सीजी)
- 4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एसईसी रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर - 495004
(सीजी)

--- याचिकाकर्ता

बनाम


मो. शमशाद आलम पिता इशाक अहमद, 35 वर्ष, निवासी गाँव-बीबीपुर, पोस्ट तथा थाना-काको, जिला-
जहानाबाद (बिहार), पिन-804418

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 4607/2025

- 1 - भारत संघ महाप्रबंधक के द्वारा, एस. ई. सी. रेलवे, बिलासपुर क्षेत्र, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर-
495004 छत्तीसगढ़
- 2-अध्यक्ष रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अनुलग्नकभवन, जी. एम. कार्यालय, बिलासपुर-
495004 छत्तीसगढ़
- 3-सहायक कार्मिक अधिकारी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नकभवन, जीएम कार्यालय,
बिलासपुर-495004 छत्तीसगढ़
- 4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी एस. ई. सी. रेलवे, बिलासपुर क्षेत्र, मुख्यालय बिलासपुर-495004

--- याचिकाकर्तागण





बनाम

- 1 - राजू प्रसाद साहू पिता श्री बिसाहु राम साहू लगभग 35 वर्ष बेरोजगार, निवासी ग्राम गोर्डी, पोस्ट जारोद तहसील-सिमगा, पुलिस थाना-भाटपारा जिलाबलौदाबाजार-भाटपारा छत्तीसगढ़
- 2 - कमलेश कुमार वर्मा पिता श्री तिनिवासीश्वर प्रसाद वर्मा 33 वर्ष ,निवासी बेरोजगार, गाँव-बोदतारा, पोस्ट-जारोद, जिलाबलौदाबाजार-भाटपारा छत्तीसगढ़
- 3 - प्रशांत कुमार पिता श्री युगल दास 34 वर्ष ,बेरोजगार, निवासी वार्ड संख्या 7, चिकित्सक टोली, पोस्ट मोकामा, जिलापटना, बिहार
- 4 - रूपेन्द्र कुमार वर्मा पिता श्री पुराणिक लाल वर्मा उम्र लगभग 30 वर्ष बेरोजगार, निवासी ग्राम - बनबोड़, पोस्ट - धारा, जिला राजनांदगांव 491445 छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 4611/2025

- 1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे के द्वारा, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर - 495004 छत्तीसगढ़
- 2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर - 495004 छत्तीसगढ़
- 3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर - 495004 छत्तीसगढ़
- 4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी एस. ई. सी. रेलवे, बिलासपुर क्षेत्र, मुख्यालय बिलासपुर-495004


---- याचिकाकर्तागण

बनाम

अमित कुमार पिता श्री रामकिरित रविदास लगभग 32 वर्ष बेरोजगार, निवासी गाँव-मंझियावान पी ओ तथा पुलिस थाना परैया, जिलागया,बिहार पिन 829209

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 4562/2025





1 - भारत संघ, महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे के द्वारा, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर-495004 (सी.जी.)

2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर-495004 (सी.जी.)

3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर- 495004 (सी.जी.)

4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर- 495004

--- याचिकाकर्ता

बनाम

लेखराज मीना पिता श्री बदरी मीना 30 वर्ष बेरोजगार, निवासि गाँव-ओडपुर, पीओ-पलवा, तहसील-रेनी, अलवर-301414 (राजस्थान)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 4587/2025

1 - भारत संघ, महाप्रबंधक के द्वारा, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर-495004 (सी.जी.)

2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर-495004 (सी.जी.)

3 - सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अनुलग्नक भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर- 495004 (सी.जी.)

4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय, बिलासपुर- 495004 (सी.जी.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

आनंद कुमार वक्षी पिता श्री बाबूलाल राम उम्र लगभग 34 वर्ष बेरोजगार, निवासी बलुआटप्पा कठउत (थाना) तिवारीपुर, जिला गाज़ीपुर- 233227 (उ.प्र.)



-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 4597/2025

1 - भारत संघ - महाप्रबंधक, एस.ई.सी. रेलवे, बिलासपुर जोन, मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर- 495004 (सी.जी.)

2 - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एनेक्स भवन, जी.एम.एस. कार्यालय, बिलासपुर- 495004 (सी.जी.)

3 - सहायक कार्मिक अधिकारी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, एनेक्सभवन, जी. एम. एस. कार्यालय, बिलासपुर-495004 (सी. जी.)

4 - मुख्य कार्मिक अधिकारी एस. ई. सी. रेलवे, बिलासपुर क्षेत्र, मुख्यालय बिलासपुर 495004

---- याचिकाकर्ता

बनाम

सतदेव पासवान पिता श्री रामरतन पासवान 33 वर्ष निवासी बेरोजगार, गाँव-ताजपुर, तिलकाई निवासी बाद-804405 जिलाजहानाबाद (बिहार)

-----उत्तरवादीगण

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्तागण हेतु :	श्री रमाकांत मिश्रा, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल, श्री ऋषभ देव सिंह, सुश्री श्वेता राय तथा श्री नीरज बघेल, केंद्र सरकार के अधिवक्तागण द्वारा सहायता प्राप्त।
संबंधित उत्तरवादीगण हेतु	श्री प्रशांत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) सुश्री निशा तिवारी, श्री बी. पी. राव, सुश्री पूजा सिन्हा, श्री सुनील कुमार पांडे, श्री सुदीप वर्मा, श्री विवेक कुमार त्रिपाठी, श्री ए. वी. श्रीधर तथा सुश्री दीपाली पांडे, अधिवक्ताओं की सहायता से

माननीय श्रीमती. रजनी दुबे, न्यायाधीशतथा



माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

सी. ए. वी. आदेश

अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश के अनुसार ,

1. चूंकि समस्त प्रकरण एक ही कारण से उत्पन्न हुए हैं, और यद्यपि भारत संघ/रेलवे ने अलग-अलग मूल आवेदनों से व्यथित होकर ये याचिकाएं दायर की हैं, इसलिए माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर पीठ, जबलपुर (जिसे आगे "सीएटी" कहा गया है) ने दिनांक 06.03.2024 के एक सामान्य आदेश द्वारा सभी मूल आवेदनों का एकसमान रूप से निर्णय किया है, जिसमें मूल आवेदन संख्या 203/12/2019 और 49 समान प्रकरण शामिल हैं। तदनुसार, सभी रिट याचिकाओं को एक साथ मिलाकर, एक साथ सुना जा रहा है और इस सामान्य आदेश द्वारा उनका निराकरण किया जा रहा है।

2. भारत संघ/रेलवे, माननीय केंद्रीय न्यायालय (सीएटी) द्वारा पारित उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट प्रतीत होता है, जिसमें सीएटी ने दिनेश कुमार कश्यप और अन्य बनाम दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे और अन्य, सिविल अपील संख्या 11360-11363/2018 (एसएलपी (सी) संख्या 29668-29671/2017 से उत्पन्न) और सिविल अपील संख्या 11364/2018 (एसएलपी (सी) संख्या 6165/2018 से उत्पन्न) में दिए गए निर्णय के आधार पर मामले का निर्णय किया है। उक्त निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि वह उन याचिकाकर्ताओं के मामलों पर विचार करे जिन्होंने सीएटी से संपर्क किया था और उन्हें वर्ष 2012 में शुरू हुई चयन प्रक्रिया के पहले चयनित उम्मीदवारों से ऊपर, लेकिन वरिष्ठता के उद्देश्य से 2010 की चयन सूची के उम्मीदवारों के ठीक नीचे नियुक्ति प्रदान करे। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वेतन निर्धारण और वरिष्ठता के प्रयोजनों के लिए ऐसे याचिकाकर्ता केवल काल्पनिक लाभों के हकदार होंगे, जो कि नियुक्ति की अनुमानित तिथि से ही लागू होंगे। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे (संक्षेप में, 'एसईसीआर') को भी निर्देश जारी किए गए कि वह निर्णय का पालन करे तथा तीन महीने के भीतर समस्त योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके फलस्वरूप, रेलवे ने 20.08.2019 को 115 उम्मीदवारों की एक अनंतिम आंशिक सूची प्रकाशित की, जिनमें से 91 उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया गया। इसके बाद, सिविल अपील संख्या 11360/2018 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि उसके फैसले का लाभ उन सभी व्यक्तियों को मिलेगा जिन्होंने सीएटी के समक्ष याचिकाएं दायर की थीं।

3. यहां अधिकांश निजी उत्तरवादी ने दिनांक 01.03.2019 के आदेश पारित होने से पहले सीएटी के समक्ष अपने मूल आवेदन दाखिल किए थे; उनमें से अधिकांश ने पहले ही सीएटी से संपर्क किया था, जबकि कुछ ने उसके बाद अपनी याचिकाएं दायर कीं। वास्तव में, गुण-दोष के आधार पर, उनके मामले दिनेश कुमार कश्यप (उपरोक्त) में याचिकाकर्ताओं के समान स्थिति में हैं, जिन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर की थी, और इसलिए निजी उत्तरवादी के दावों को सीएटी द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य थे। वास्तव में, गुण-दोष के आधार पर, यहाँ जो निजी प्रतिवादी हैं—जिन्होंने सी ए टी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए हैं—वे



उन लोगों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं, जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुतोष प्रदान की गई थी। दिनेश कुमार कश्यप (उपरोक्त) मामले में, मूल आवेदनों पर 06.03.2024 को निर्णय लिया गया था, जिसमें रेलवे को एसईसीआर की रोजगार अधिसूचना संख्या 02/2010 दिनांक 15.12.2010 के तहत रिक्तियों की स्थिति की जांच करने का निर्देश दिया गया था और यदि रिक्तियां मौजूद थीं, तो याचिकाकर्ताओं को आरबीई संख्या 73/2008 दिनांक 17.06.2008 के अनुसार प्रतिस्थापन कोटा के तहत समूह 'डी' पदों पर नियुक्ति के लिए विचार करने और उसके बाद सभी उपयुक्त और योग्य पाए गए उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया था।

4. सीएटी द्वारा दिनांक 06.03.2024 को पारित आदेश से व्यथित होकर, भारत संघ/रेलवे ने उक्त आदेश को सभी संबंधित मामलों में अपास्त करने और निरस्त करने की मांग करते हुए वर्तमान रिट याचिकाएं दायर की हैं।

5. सुविधा के लिए, डब्ल्यूपीएस संख्या 6291/2024 को मुख्य मामला माना जाता है, और इसके तथ्यों को इस सामान्य आदेश द्वारा सभी संबंधित रिट याचिकाओं का निर्णय करने का आधार माना जाता है।

6. इन रिट याचिकाओं के निराकरण के लिए, संक्षेप में तथ्य (बिना किसी अनावश्यक विवरण के) ये हैं कि याचिकाकर्ता-रेलवे, माननीय सी ए. टी आर जबलपुर बेंच द्वारा 06.03.2024 को विभिन्न मूल आवेदनों — जिनमें मुख्य मामला मूल आवेदन संख्या 203/12/2019 और 49 अन्य संबंधित मामले शामिल हैं—में पारित किए गए एक साझा आदेश से व्यथित है। इस आदेश के तहत, सी ए. टी ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया था कि वे रोजगार सूचना संख्या एस. ई. सी. आर./02/2010 दिनांक 15.12.2010 के अंतर्गत रिक्तियों की स्थिति की पुनः जांच करें और, यदि रिक्तियां मौजूद पाई जाती हैं, तो आर. बी. ई. संख्या 73/2008 के प्रावधानों के अनुसार 'ग्रुप डी' पदों पर 'रिप्लेसमेंट कोटा' के तहत नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ताओं पर विचार करें; और इसके बाद, जो उम्मीदवार उपयुक्त पाए जाते हैं, उनके लिए नियुक्ति आदेश जारी करें।

7. यह विवाद रोजगार सूचना संख्या एस. ई. सी. आर./02/2010 से उत्पन्न हुआ है, जो 5798 रिक्तियों (5540 गैर-पीएच + 258 पीएच) को भरने के लिए जारी की गई थी, जिसमें दिनांक 02.07.2008 के परिपत्र के अनुसार अधिसूचित रिक्तियों से 20% अधिक उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। 5540 गैर-पीएच उम्मीदवारों की सूची 11.03.2013, 09.07.2013 और 03.03.2014 को तीन भागों में आयोजित पैनलों के माध्यम से प्रकाशित की गई थी, और कोई कमी नहीं थी, क्योंकि 20% अतिरिक्त सूची से 55 उम्मीदवारों ने 47 प्रतिरूपण मामलों और 08 चिकित्सकीय रूप से अयोग्य उम्मीदवारों के विरुद्ध सूची में अपनी जगह बनाई।

8. 20% अतिरिक्त सूची के कई उम्मीदवारों ने पहले 2013 में सीएटी से संपर्क किया था; उनके दावों को सीएटी ने 13.02.2015 को खारिज कर दिया था, जिसके आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय ने 05.08.2015 को की थी। हालांकि, दिनेश कुमार कश्यप (उपरोक्त) मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 27.11.2018 के



निर्णय के माध्यम से उच्च न्यायालय और सीएटी के आदेशों को रद्द कर दिया गया और 02.07.2008 के परिपत्र का लाभ केवल उन याचिकाकर्ताओं को दिया जिन्होंने सीएटी से संपर्क किया था। 01.03.2019 के बाद के निर्देशों में स्पष्ट किया गया कि यह लाभ सख्ती से उन व्यक्तियों तक सीमित है जिन्होंने सीएटी के समक्ष याचिकाएं दायर की थीं। अनुपालन में, 02.01.2019, 24.04.2019 और 20.08.2019 को अंतिम आंशिक पैनल जारी किए गए।

9. इसके बाद, 91 समान रूप से स्थित उम्मीदवारों, जिनके नाम 20% सूची में दिखाई दिए, लेकिन जिन्होंने पहले सीएटी से संपर्क नहीं किया था, ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने/निर्देश देने की मांग की। रजिस्ट्रार द्वारा 06.03.2020 को उनके आवेदनों का पंजीकरण अस्वीकार कर दिया गया और 12.02.2021 को उनके विविध आवेदनों को खारिज कर दिया गया, यह दोहराते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय ने सभी 20% अतिरिक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया था।

10. इस बीच, रेलवे बोर्ड ने रिक्तियों का नया आकलन किया और उसके बाद भर्ती अधिसूचना संख्या सीईएन 02/2018 और आरआरसी-01/2019 जारी की, जिसके विरुद्ध 905 और आगे के उम्मीदवारों को विधिवत पैनल में शामिल किया गया। 2010 की अधिसूचना में अधूरे रह गए पदों को बाद के भर्ती चक्रों में विधिवत रूप से भर दिया गया था।

11. इसके बाद, वर्तमान उत्तरवादी ने, जो तटस्थ रहे थे और केवल 2019 में सीएटी के समक्ष आए थे, 2010 के प्रतिस्थापन कोटा के तहत कथित शेष रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की मांग करते हुए मूल आवेदन दायर किए। रेलवे ने समय सीमा, रिक्तियों के अस्तित्व न होने और इस तथ्य के आधार पर उनके दावे का विरोध किया कि कथित कमी को 2018 और 2019 की भर्ती प्रक्रिया में पहले ही पूरा कर लिया गया था।

हालांकि, सीएटी ने याचिकाकर्ताओं के पुनर्विचार और संभावित नियुक्ति का निर्देश दिया, जिसके परिणामस्वरूप रेलवे द्वारा वर्तमान रिट याचिकाएं दायर की गईं।

12. श्री रमाकांत मिश्रा, विद्वान उप सॉलिसिटर जनरल, श्री ऋषभ देव सिंह, सुश्री श्वेता राय और श्री नीरज बघेल, विद्वान केंद्रीय शासकिय अधिवक्ता की सहायता से, ने मुख्य रूप से इस आधार पर विवादित आदेश को चुनौती दी कि प्रतिवादियों द्वारा वर्ष 2019 में दायर मूल आवेदन घोर विलंब और लापरवाही से ग्रस्त हैं। यह निवेदन किया जाता है कि प्रतिवादियों ने दिनांक 11.03.2013, 09.07.2013 और 03.03.2014 के पैनलों के प्रकाशन के लगभग पाँच वर्ष बाद सीएटी से संपर्क किया, और इसलिए, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 21(1) के तहत मूल आवेदनों को प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था। भारत सरकार के सचिव बनाम शिवराम महादु गायकवाड़, 1995 सप्लीमेंट एससीसी 231 और रमेश चंद शर्मा बनाम उधम सिंह कमल, 2000 (1) एटीजे178 पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया है कि मामले की खूबियों पर विचार करने से पहले परिसीमा की जांच करना आवश्यक है।



13. आगे यह तर्क दिया गया है कि सीएटी इस बात को समझने में विफल रहा कि पैनल की वैधता केवल दो वर्षों के लिए है, और ऐसी अवधि की समाप्ति पर, कोई भी उम्मीदवार अधिकार के रूप में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है। **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम हरीश चंद्र और अन्य, 1996 (3) स्केल 730 और मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड बनाम वीरेंद्र कुमार शर्मा, एआईआर 2002 एससी 2635** पर भरोसा किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए पैनल की सीमित वैधता निर्धारित करने के पीछे के तर्क को बरकरार रखा है कि बाद के और बेहतर उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिले।

14. श्री मिश्रा का कहना है कि प्रतिवादी तटस्थ हैं, जिन्होंने उचित स्तर पर चयन न होने को चुनौती नहीं दी और दिनेश कुमार कश्यप (उपरोक्त) के निर्णय के बाद ही जागे। दिनेश कुमार कश्यप (उपरोक्त) मामले में याचिकाकर्ताओं ने पैनल की अवधि समाप्त होने से काफी पहले ही सीटी से संपर्क किया था, जबकि वर्तमान मामले में, मूल आवेदन पैनल की अवधि समाप्त होने के काफी समय बाद दायर किए गए थे। सिविल अपील संख्या 9849/2014 में पारित उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव और अन्य के निर्णय पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया है कि उन लोगों को लाभ नहीं दिया जा सकता जो अपने अधिकारों के प्रति उदासीन रहते हैं और केवल यह देखने के बाद समानता की मांग करते हैं कि समान स्थिति वाले व्यक्ति पहले के मुकदमों में सफल रहे हैं। इसके अलावा यह भी आग्रह किया जाता है कि अधिसूचना संख्या एस. ई. सी. आर./02/2010 जारी होने के बाद भर्ती के चार बाद के चक्र पहले ही पूरे हो चुके हैं, और परिणामस्वरूप सभी रिक्तियों को वर्ष 2018 और 2019 की भर्ती अधिसूचनाओं में विधिवत शामिल कर लिया गया है। इसलिए, सीएटी द्वारा "रिक्त पदों की स्थिति की जांच करने" का निर्देश एक व्यर्थ कवायद है, खासकर तब जब रेलवे ने स्पष्ट रूप से यह दर्ज किया है कि 2010 की अधिसूचना के तहत कोई रिक्ति मौजूद नहीं है।

15. श्री मिश्रा ने आगे कहा कि उत्तरवादी केवल दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए गए 20% अतिरिक्त उम्मीदवारों में से थे, जो नियुक्ति का कोई निहित अधिकार प्रदान नहीं करता है। संजय भट्टाचार्य बनाम भारत संघ (10.03.1997) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रतीक्षा सूची में नाम शामिल होना या दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाना, नियुक्ति का दावा करने या नियोक्ता को बाद की रिक्तियों को भरने से रोकने के लिए निर्देश मांगने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार नहीं बनाता है। आगे यह भी निवेदन किया जाता है कि सीएटी इस बात पर विचार करने में विफल रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2021 को दिए गए डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 779/2021 के निर्णय के तहत यह विवादक रिस ज्यूडिकाटा से ग्रस्त है, जिसमें यह माना गया है कि वर्ष 2008 के चयन से संबंधित मामलों में कुछ भी शेष नहीं है, और विवाद सिविल अपील संख्या 11360-63 ऑफ 2018 के माध्यम से पहले ही अंतिम रूप ले चुका है।

16. श्री मिश्रा का तर्क है कि प्रतिवादियों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.2020 को पारित आदेश के बारे में सीएटी से जानकारी छुपाई, जिसमें उनके पक्षकार बनने/निर्देशों के लिए आवेदन (एम.ए. डाय. नंबर 41314/2019) को खारिज कर दिया गया था, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 12.02.2021 को विविध



आवेदन संख्या 241/2021 को खारिज कर दिया गया था। इन आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिनांक 27.11.2018 के फैसले और दिनांक 01.03.2019 के आदेश का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने 27.11.2018 से पहले सीएटी से संपर्क किया था। अतः सीएटी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिकल्पित व्यक्तियों के वर्ग से परे लाभ का विस्तार करके त्रुटि की है।

17. श्री मिश्रा द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि सीएटी ने एम.ए. संख्या 439-442/2019 में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 01.03.2019 के आदेश की गलत व्याख्या की है, जिसमें "होगी" तथा "संपर्क किया गया था" अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से लाभ को केवल उन उम्मीदवारों तक सीमित करती है जो प्रासंगिक समय पर सीएटी के समक्ष याचिकाकर्ता थे। अतः, आक्षेपित आदेश सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के दायरे का अनुचित विस्तार करता है। इसके अलावा, सीएटी की प्रधान पीठ द्वारा तय किए गए ओ.ए. संख्या 819/2019 पर भी भरोसा जताया गया है, जिसमें यह माना गया है कि दिनेश कुमार कश्यप (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सीएटी में आने वाले उम्मीदवार इसका लाभ उठाने के हकदार नहीं हैं।

18. श्री मिश्रा ने आगे तर्क दिया कि सीएटी ने सुस्थापित सिद्धांत "विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मिएंटिबस ज्यूरा सबवेनियंट" को लागू करने में विफल रहा, जिसका अर्थ है कि कानून सतर्क लोगों की सहायता करता है, न कि उन लोगों की जो अपने अधिकारों के प्रति लापरवाह हैं। उत्तरवादीगण ने 2019 में विलंबित रूप से सीएटी से संपर्क किया, केवल इसलिए क्योंकि कुछ व्यक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली थी, और इस तरह के निष्क्रिय या अटकलबाजी वाले मुकदमे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह भी तर्क दिया गया है कि

सीएटी ने अनुचित सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनाया, जो अस्वीकार्य है, जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम राजमती सिंह, सिविल अपील संख्या 9329/2022 में कहा गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी थी कि अनुचित सहानुभूति से अनुचित अपेक्षाएँ उत्पन्न होती हैं और लोक प्रशासन पर अनावश्यक बोझ पड़ता है।

19. आगे यह निवेदन किया जाता है कि इन मूल आवेदनों के लंबित रहने के दौरान, इन याचिकाकर्ताओं ने सीएटी के समक्ष अपनी सर्वोच्च न्यायालय की याचिकाओं की बर्खास्तगी का खुलासा नहीं किया और न ही अपने लंबित मूल आवेदनों को वापस लिया, जबकि उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह वचन दिया था कि उनके मूल आवेदनों का भाग्य डब्ल्यूपीसी 779/2021 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा निर्धारित होगा। परिणामस्वरूप, न्यायाधिकरण ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में खारिज किए जाने की जानकारी के बिना, डब्ल्यूपीसी 779/2021 दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं सहित सभी याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दिनांक 06.03.2024 को एक सामान्य आदेश पारित किया। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने का यह आचरण न्यायाधिकरण के समक्ष गलत बयानी के बराबर है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सुबित कुमार दास, 025 आई. एन. एस. सी. 1235 एस. एल. पी. (सी) डायरी संख्या 57192/2024 से उत्पन्न सिविल अपील),



एम. सी.डी बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली, (2005) 4 एस. सी. सी 605 और मेसर्स सीमाक्स कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ए. आई. आर. 1992 डी. ई. एल. 197 (जिसे (1993) 1 सी. यु आर 325 के रूप में भी रिपोर्ट किया गया है) जैसे मामलों में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो यह स्थापित करते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाना पक्षों को राहत प्राप्त करने से वंचित करता है और प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

20. इसके अलावा, दुविधा में रहने वालों, न्याय निर्णय लेने वालों और निर्णय लेने की प्रवृत्ति के सिद्धांतों पर भी भरोसा किया जाता है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि डब्ल्यूपीसी 779/2021 और संबंधित आईए/एमए आवेदन दाखिल करने वाले 84 याचिकाकर्ता अपने मूल आवेदनों के लंबित रहने के दौरान दिनेश कुमार कश्यप (उपरोक्त) के निर्णय का उल्लेख देकर तटस्थ हो गए। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपीसी 779/2021 में उनकी याचिका खारिज कर दी है, इसलिए वे न्यायाधिकरण या इस न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार की राहत पाने के हकदार नहीं हैं। अतः, न्यायाधिकरण ने 06.03.2024 के सामान्य आदेश के तहत राहत प्रदान करने में स्पष्ट त्रुटि की, क्योंकि वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बाध्य था।

21. इन आधारों पर श्री मिश्रा ने निवेदन किया है कि आक्षेपित आदेश में विधि की गंभीर त्रुटियां हैं तथा इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

22. इसके विपरीत, श्री प्रशांत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री निशा तिवारी, अधिवक्ता, श्री बी.पी. राव, सुश्री पूजा सिन्हा, श्री सुनील कुमार पांडे, श्री सुदीप वर्मा, विवेक कुमार त्रिपाठी, श्री ए.वी. श्रीधर और सुश्री दीपाली पांडे, संबंधित प्रतिवादियों/हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने विद्वान उप सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि वर्तमान रिट याचिकाओं के तथ्य और परिस्थितियाँ भिन्न हैं तथा उत्तरवादी के विभिन्न समूहों के लिए अलग-अलग विचार की आवश्यकता है। यह निवेदन किया जाता है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी), बिलासपुर और जबलपुर बेंचों के समक्ष मूल आवेदनों (ओए) के लंबित रहने के दौरान, कुछ याचिकाकर्ताओं, जिनकी संख्या 84 से 91 है, ने दिनेश कुमार कश्यप (उपरोक्त) में विभिन्न अंतरिम आवेदन (आईए संख्या 175975/2019 और 175981/2019 एमए (डी) 41314/2019 में) दाखिल करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क किया था, जिसमें उस मामले से उत्पन्न सिविल अपील में पक्षकार बनने और राहत बढ़ाने की मांग की गई थी। इन दोनों आवेदनों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 6.3.2020 को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, उन्हीं याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती देते हुए एमए 241/2021 दायर किया, जिसे 12.2.2021 को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, इन याचिकाकर्ताओं में से लगभग 84 ने रिट याचिका (सी) संख्या 779/2021 (योगेंद्र कुमार राम और अन्य बनाम महाप्रबंधक रेलवे और अन्य) दायर की, जिसमें उन्होंने सीएटी के समक्ष लंबित अपनी मूल याचिकाओं के समान तथ्य प्रस्तुत किए और समान अनुतोष की मांग की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 30.7.2021 को रिट याचिका संख्या



779/2021 खारिज कर दी। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इन मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया है और उनमें निहित सिद्धांत सभी अधीनस्थ मंचों पर बाध्यकारी हैं।

23. विद्वान अधिवक्ताओं ने आगे कहा कि इन 56 उत्तरवादी में से किसी ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई आईए, एमए या डब्ल्यूपीसी 779/2021 दायर नहीं किया। उन्होंने न्यायाधिकरण के समक्ष अपने-अपने मूल आवेदनों में दिनेश कुमार कश्यप (उपरोक्त) के फैसले पर भरोसा नहीं किया है और न ही उन्होंने किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया है। इसलिए, तटस्थता, न्याय के आधार पर निर्णय या महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाने के सिद्धांत उन पर लागू नहीं होते हैं। विद्वान अधिवक्ताओं का कहना है कि उनके मूल आवेदन दाखिल करने में कोई देरी नहीं हुई है क्योंकि परिसीमा अवधि रेलवे द्वारा 30.9.2021 को जारी किए गए पहले अस्वीकृति पत्र की तारीख से ही शुरू होती है, और सभी मूल आवेदन उस तारीख से दो साल की समाप्ति से पहले दाखिल किए गए थे।

24. यह निवेदन किया जाता है कि रोजगार सूचना संख्या 02/2010 से रिक्त पद बाद के पैनल जारी होने के बाद भी बने रहे, और ये उत्तरवादी उन रिक्त पदों के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवार हैं जो अभी भी सक्रिय हैं। पैनलों की वैधता से संबंधित आरबीई 121/2005 जैसे परिपत्र प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों पर लागू नहीं होते हैं, और इसलिए, 56 उत्तरवादी अन्य याचिकाकर्ताओं से संबंधित डब्ल्यूपीसी 779/2021 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतंत्र रूप से अपने दावों के निराकरण के हकदार हैं।

25. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, संबंधित उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से निवेदन किया है कि यह न्यायालय रिट याचिकाओं का दो अलग-अलग चरणों में निर्णय कर सकता है:

(i) उन 84 याचिकाकर्ताओं के संबंध में जिन्होंने डब्ल्यू. पी. सी. 779/2021 तथा संबंधित आई. ए./एम. ए. दायर किया था, जहां न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत थी, और (ii) उन 56 प्रतिवादियों के संबंध में जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क नहीं किया और डब्ल्यू. पी. सी. 779/2021 से बाध्य नहीं हैं। न्याय के हित में और सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकने के लिए ऐसा भेद करना आवश्यक है।

26. यह तर्क दिया गया है कि सीएटी द्वारा पारित विवादित आदेश में कोई खामी नहीं है और उसने याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति के लिए विचार करने का सही निर्देश दिया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मूल अधिसूचना संख्या एसईसीआर/03/2012 दिनांक 25.08.2012 के तहत बड़ी संख्या में रिक्तियां अभी भी खाली पड़ी हैं। यह निवेदन किया जाता है कि भर्ती आर.बी.ई. संख्या 73/2008 द्वारा शासित थी, जिसमें कमी से बचने के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु 20% अतिरिक्त उम्मीदवारों को बुलाने का प्रावधान था। कई चयनित उम्मीदवारों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिस्थापन/प्रतीक्षा सूची संचालित करने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन याचिकाकर्ता हस्तक्षेपकर्ताओं सहित योग्य उच्च-योग्यता वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी करने में विफल रहे। यह तर्क दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने,



सिविल अपील संख्या 11360-11363 वर्ष 2018 में, निर्देश दिया था कि चयन प्रक्रिया का लाभ सभी समान रूप से स्थित उम्मीदवारों को दिया जाए। इस आदेश के विपरीत, याचिकाकर्ताओं ने कम योग्यता वाले व्यक्तियों को चुनकर नियुक्त किया, और योग्यता सूची में काफी ऊपर स्थान पर रहे उम्मीदवारों की अनदेखी की। उच्च योग्यता वाले ऐसे प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों की विस्तृत सूची अभिलेख में दर्ज कर ली गई है। यह बताया गया है कि दिनांक 10.09.2024 के आरटीआई उत्तर से पता चलता है कि अकेले सेसीआर रायपुर डिवीजन में अभी भी 577 रिक्तियां मौजूद हैं, जो याचिकाकर्ताओं के इस दावे को पूरी तरह से झूठा साबित करता है कि कोई रिक्ति शेष नहीं है। इसलिए, सीएटी द्वारा याचिकाकर्ताओं को मौजूदा रिक्तियों के विरुद्ध हस्तक्षेपकर्ताओं के दावे पर विचार करने का निर्देश देना उचित था। इसके अलावा यह भी निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं कई ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्तियां दी हैं जो समेकित योग्यता सूची में हस्तक्षेपकर्ताओं से काफी नीचे थे, जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के संवैधानिक आदेश का उल्लंघन हुआ है। कम योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करना और उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों पर विचार न करना स्पष्ट रूप से मनमाना और भेदभावपूर्ण है।

27. हस्तक्षेपकर्ताओं ने नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु सद्भावनापूर्वक सीएटी से संपर्क किया था। कुछ पक्षकारों को कुछ वकीलों की गलत सलाह पर बहकावे में आकर एक पूर्व निपटाए गए मामले में पक्षकार बनने का आवेदन दाखिल करना पड़ा। रजिस्ट्रार ने उक्त पक्षकार बनने के आवेदन को बिना किसी सूचना या अवसर दिए खारिज कर दिया था। इसके बाद, उनकी अनुमति के बिना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विविध आवेदन और बाद में एसएलपी दायर किए गए। इसके बाद हस्तक्षेपकर्ताओं ने सीएटी के समक्ष शपथ पत्र दाखिल कर स्पष्ट किया कि ये शपथ पत्र उनकी सहमति या निर्देश के बिना दाखिल किए गए थे, और उनका सीएटी के समक्ष लंबित अपने मूल दावों को छोड़ने का कोई आशय नहीं था। विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क है कि इस प्रकार के गलत या अनधिकृत प्रक्रियात्मक कदमों को रेस ज्यूडिकाटा (पूर्वन्याय) नहीं माना जा सकता है, और न ही वे हस्तक्षेपकर्ताओं के मूल अधिकारों को समाप्त कर सकते हैं, विशेष रूप से तब जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनके दावों पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं दिया। इसके अलावा यह तर्क दिया गया है कि प्रक्रियात्मक तकनीकीताओं पर आधारित वास्तविक न्याय का सिद्धांत वर्तमान मामले पर पूरी तरह से लागू होता है, खासकर तब जब रिक्तियां मौजूद हों और उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार नियुक्त न किए गए हों।

28. पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय (सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 2372/2023, संतोष कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य) पर भरोसा किया गया है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति से वंचित करना अपूरणीय क्षति का कारण बनता है।

29. अश्वनी कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1997 एससी 1628 का उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया गया है कि समान स्थिति वाले सभी व्यक्तियों के साथ, चाहे वे न्यायालय में आए हों या नहीं, समान व्यवहार किया जाना चाहिए; प्रतीक्षारत लोगों को दूसरों को दी गई अनुतोष से वंचित नहीं किया जा सकता जब



तक कि अनुतोष व्यक्तिगत न हो। इसके अलावा, अमृत लाल बेरी बनाम उत्पाद शुल्क, (1975) 4 एससीसी 714 में यह तर्क दिया गया कि एक नागरिक द्वारा प्राप्त कानून की घोषणा अन्य समान रूप से स्थित लोगों पर भी लागू होनी चाहिए और अंत में के.आई. शेफर्ड और अन्य बनाम भारत संघ, (1987) 4 एससीसी 431 में यह तर्क दिया गया कि बहिष्कृत कर्मचारियों, जिन्होंने न्यायालय से संपर्क नहीं किया है, को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। यह दावा करना कि एक बार न्यायालय द्वारा कानून घोषित कर दिए जाने के बाद, समान स्थिति वाले व्यक्तियों को उसी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, भले ही उन्होंने पहले न्यायालय का रुख न किया हो।

30. यह भी निवेदन किया जाता है कि हस्तक्षेपकर्ता निश्चित रूप से योग्यता में उच्चतर हैं और न्यायिक निर्देशों के अनुसार नियुक्तियां प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के समान स्थिति में हैं। रिक्तियों की उपलब्धता के बावजूद उन्हें नियुक्ति से वंचित करना शत्रुतापूर्ण भेदभाव के समान है। अंत में यह निवेदन किया जाता है कि सीएटी ने याचिकाकर्ताओं को रिक्तियों का सत्यापन करने और नियुक्ति के लिए हस्तक्षेपकर्ताओं पर विचार करने का निर्देश देते हुए एक संतुलित और वैध आदेश पारित किया है। प्रशासन को किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होता है, क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि अभी भी रिक्त पद मौजूद हैं। अतः, रिट याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य हैं।

31. हमने संबंधित पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को काफी विस्तार से और धैर्यपूर्वक सुना है, और हमने अभिलेखों, अनुलग्नकों और अभिवेदनों का अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

32. यह मामला तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्न उठाता है, जिसके लिए घटनाओं के कालानुक्रम, इस न्यायालय और सीएटी के समक्ष प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्क माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 11360-11363/2018 और बाद के विविध आदेशों में पारित आदेशों के दायरे और महत्व, पैनलों और प्रतीक्षा सूचियों के संचालन में रेलवे द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग और कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए अंतरिम कदमों के कानूनी परिणामों की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है, जबकि उनके मूल आवेदन सीएटी के समक्ष लंबित थे।

33. हमने अभिवेदनों और प्रति-अभिवेदनों, दिनांक 06.03.2024 के सीटी के सामान्य आदेश और संबंधित आदेशों, समीक्षा याचिकाओं और उन पर दिए गए आदेशों, संबंधित भर्ती अधिसूचनाओं और रेलवे बोर्ड के परिपत्रों (जिसमें आर.बी.ई. संख्या 73/2008 भी शामिल है), 2013 और 2019 के बीच प्रकाशित विभिन्न पैनलों और आंशिक पैनलों, पक्षों द्वारा प्रस्तुत संचार और आरटीआई रिटर्न जिनमें रिक्तियों की स्थिति दर्शाई गई है, और परिसीमा, रेस ज्यूडिकाटा, स्टेयर डेसिसिस, "बीच का रुख रखने वालों" के विरुद्ध सिद्धांत और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के प्रभाव पर पक्षों द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों और प्राधिकारों पर भी विचार किया है।



34. हमने उत्तरवादियों/हस्तक्षेपकर्ताओं के उन तथ्यात्मक कथनों को भी ध्यान में रखा है, जिनमें दावा किया गया है कि रिक्तियों के अस्तित्व के बावजूद वे प्रतीक्षा सूची में थे और उन्हें नियुक्तियाँ नहीं दी गईं, और याचिकाकर्ताओं के इस कथन को भी ध्यान में रखा है कि बाद के भर्ती अभियानों में कथित रिक्तियों को भर दिया गया है और याचिकाकर्ताओं में से कई ने अपने अधिकारों के प्रति लापरवाही बरती या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनुचित तरीके से उपाय अपनाए।

35. उपरोक्त सामग्री और सार्वजनिक रोजगार में भर्ती प्रक्रियाओं के सुचारू और सुसंगत प्रशासन में महत्वपूर्ण जनहित को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित क्रम में जांच करने का प्रस्ताव करते हैं, (i) प्रकाशनों और पैनलों का कालानुक्रमिक क्रम और प्रत्येक मामले में कार्रवाई के कारण की सटीक प्रकृति, (ii) क्या सीएटी ने विलंब और लापरवाही के आधार पर प्रारंभिक चरण में मूल आवेदनों को अस्वीकार किए बिना उन्हें स्वीकार करने और उन पर निर्णय देने में गलती की है।(iii) क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का लाभ याचिकाकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को दिया जा सकता है, और यदि हाँ, तो किसे, (iv) मूल आवेदनों के लंबित रहने के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए गए अंतरिम आवेदनों, एमए और रिट याचिकाओं का कानूनी प्रभाव, यदि कोई हो, क्या है?(v) क्या अभिलेख की समग्रता के आधार पर, हस्तक्षेपकर्ताओं/उत्तरवादी के लिए प्रतिस्थापन कोटा के तहत विचार/नियुक्ति के रूप में न्यायसंगत और विधिक अनुतोष उचित है।

36. आगे बताए गए कारणों से, अब हम इन प्रश्नों पर विस्तार से विचार करते हैं।

37. माननीय सीएटी द्वारा ओ.ए. संख्या 203/12/2019 (मुख्य मामला) में दिनांक 06.03.2024 को पारित आक्षेपित सामान्य आदेश और 49 समान मूल आवेदनों के सावधानीपूर्वक अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य, प्रतिद्वंद्वी तर्क और कानूनी प्रश्न उभरते हैं और विस्तृत निर्णय की आवश्यकता है।

38. सबसे पहले, तथ्यात्मक मैट्रिक्स सीधा है और इसे सटीकता के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। रोजगार अधिसूचना संख्या एस. ई. सी. आर/02/2010 दिनांक 15.12.2010 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, बिलासपुर द्वारा पूर्ववर्ती समूह 'डी' पदों पर भर्ती के लिए जारी की गई थी।चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा शामिल थी।अंतिम पैनल में किसी भी प्रकार की कमी से बचने के लिए, रेलवे बोर्ड के परिपत्र आरबीई संख्या 73/2008 दिनांक 02.07.2008 के अनुसार, विज्ञापित रिक्तियों से 20% अधिक उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया गया था। 2013 और 2019 के बीच आंशिक पैनलों की एक श्रृंखला प्रकाशित की गई थी।चुने गए उम्मीदवार विभिन्न कारणों (किसी और की जगह आना, चिकित्सकीय रूप से अयोग्य होना, या शामिल न होना) से शामिल नहीं हो पाए, और इसके परिणामस्वरूप, कई पद खाली रह गए।इन मूल आवेदनों में याचिकाकर्ताओं को "20% प्रतिस्थापन" सूची में रखा गया था और उनका दावा है कि चयन के सभी चरणों को उत्तीर्ण करने और चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित होने के कारण, वे उस भर्ती प्रक्रिया में अभी भी खाली पड़े रिक्त पदों पर नियुक्ति के हकदार हैं।



39. दूसरा, प्रक्रियात्मक इतिहास लंबा और स्तरित है तथा विधिक प्रश्नों को समझने के लिए इसे कालानुक्रमिक रूप से पालन किया जाना चाहिए। समान परिस्थितियों वाले उम्मीदवारों के एक समूह ने पहले सीएटी और उच्च न्यायालय के समक्ष वाद दायर किया था; सीएटी (अन्य बातों के अलावा दिनांक 13.02.2015/24.01.2017) और उच्च न्यायालय के आदेशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनेश कुमार कश्यप (उपरोक्त) मामले में आंशिक रूप से अपास्त कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के 27.11.2018 के निर्णय ने उन याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान की जिन्होंने सीएटी से संपर्क किया था; इसके बाद, एम.ए. संख्या 439-442/2019 में दिनांक 01.03.2019 के आदेशों और परिणामी अनुपालन कार्यवाही में, अनंतिम/आंशिक पैनल 2019 में प्रकाशित किए गए और उस निर्णय के अनुसार नियुक्तियों की गईं। इस बीच की अवधि में और पैनल जारी किए गए और, जैसा कि सीएटी के आदेश में दर्ज है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद 197 रिक्तियां भरी गईं, लेकिन याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उनकी दलीलों और सीएटी के निष्कर्षों के अनुसार लगभग 427 रिक्तियां अभी भी खाली हैं।

40. तीसरा, मुख्य प्रतिद्वंद्वी तर्क को कुछ अलग-अलग विधिक विवादक में संक्षेपित किया जा सकता है जिनका उत्तर इस न्यायालय को देना होगा:

क) क्या प्रारंभिक पैनलों (2013-2014) के प्रकाशन की तिथि और रेलवे प्रथा में सामान्यतः मान्यता प्राप्त पैनलों की दो साल की वैधता को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2019 में या उसके आसपास दायर किए गए मूल आवेदन विलंब और चूक के कारण वर्जित हैं; (ख) क्या दिनेश कुमार कश्यप (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का लाभ वर्तमान याचिकाकर्ताओं को मिलता है और यदि हां, तो उनमें से किसे (अर्थात्, सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्टीकरण आदेशों का परिणाम और "मध्यम पक्ष" का सिद्धांत/राहत का व्यक्तिगत अनुप्रयोग); (ग) क्या सीएटी ने रेलवे को रिक्त पदों की स्थिति की जांच करने और यदि रिक्तियां मौजूद हैं, तो आरबीई संख्या 73/2008 के अनुसार प्रतिस्थापन कोटा के तहत याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति पर विचार करने का सही निर्देश दिया था; और (घ) सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए अंतरिम कदमों (पक्षकार आवेदन, विविध आवेदन और रिट याचिका (सी) संख्या 779/2021) का विधिक प्रभाव, यदि कोई हो, जबकि उनके मूल आवेदन सीएटी के समक्ष लंबित रहे।

41. चौथा, परिसीमा और विलंब के प्रश्न पर तथा अभिलेख दो प्रतिस्पर्धी विधिक प्रस्तावों को दर्शाता है। एक ओर, रेलवे ने उचित ही बताया है कि चयन पैनल की वैधता आमतौर पर सीमित होती है, प्रथा और कई निर्णय चयन सूची/पैनल की परिचालन वैधता के लिए दो वर्ष की अवधि को मान्यता देते हैं और यह कि लंबे समय तक, बिना स्पष्टीकरण के, देरी होने पर उम्मीदवार राहत पाने का हकदार नहीं हो सकता है। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता और सीएटी इस बात पर निर्भर करते हैं कि जब तक रिक्तियां बनी रहती हैं और प्रतीक्षा सूची संचालित होती है, तब तक कार्यवाही का कारण निरंतर बना रहता है: जहां कोई रिक्ति बनी रहती है और प्रतिस्थापन सूची से भरी जा सकती है, वहां किसी याचिकाकर्ता की शिकायत पहले पैनल की तारीख पर यांत्रिक रूप से निर्भर होने के कारण आवश्यक रूप से खारिज नहीं हो जाती है।



इसलिए इस न्यायालय को प्रकरण दर प्रकरण यह मूल्यांकन करना होगा कि क्या याचिकाकर्ताओं के दावे प्रारंभिक चरण में ही समय-बाधित थे या क्या बाद के आधिकारिक कार्यों (प्रतिनिधित्व, अस्वीकृति पत्र, निरंतर गैर-नियुक्ति और बाद के पैनों का प्रकाशन/संचालन) द्वारा कार्रवाई का कारण पुनर्जीवित या जारी रखा गया था। 42. पांचवा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के दायरे और प्रभाव की गहन परीक्षा की आवश्यकता है। दिनेश कुमार कश्यप (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय ने उन याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान की जिन्होंने सीएटी से संपर्क किया था और अनुपालन का निर्देश इस तरह दिया कि, अपने शब्दों में, उस वर्ग को सहायता मिली; सर्वोच्च न्यायालय के बाद के आदेशों ने समय पर कार्यवाही दायर करने वाले कुछ वर्गों के लिए राहत के दायरे को स्पष्ट और विस्तारित किया। "तटस्थ रहने वालों" का सिद्धांत और यह कहावत कि विधि सतर्क लोगों की मदद करता है (विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मिएंटिबस जुरा सबवेनियंट) सुस्थापित हैं; जहां कोई वादी अपने अधिकारों के प्रति उदासीन रहा और दूसरों के सफल होने के बाद ही समानता की मांग की, वहां न्यायालय ने न्यायसंगत आधार पर राहत देने से इनकार कर दिया है। परंतु इन न्यायसंगत सिद्धांतों को यांत्रिक रूप से लागू करके उन वास्तविक कानूनी अधिकारों से इनकार नहीं किया जा सकता है जहां नियुक्ति का अधिकार मौजूदा प्रतिस्थापन सूची और उपलब्ध रिक्तियों से प्राप्त होता है और जहां आवेदक द्वारा दुर्भावना या जानबूझकर जानकारी छिपाने का कोई सबूत रिकॉर्ड में नहीं मिलता है। इसके अलावा, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आवेदनों को स्वीकार्यता के अभाव में या प्रक्रियात्मक आधारों पर (उदाहरण के लिए, रजिस्ट्रार द्वारा) खारिज कर दिया, ऐसी प्रक्रियात्मक खारिजियाँ स्वतः ही उन याचिकाकर्ताओं के वास्तविक अधिकार का निर्णय नहीं करती हैं जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष योग्यता के आधार पर निर्णय के लिए उपस्थित नहीं थे।

43. छठा, रोजगार सूचना संख्या एस. ई. सी. आर/02/2010 में रिक्त पदों की स्थिति की जांच करने और यदि रिक्तियां मौजूद हों तो याचिकाकर्ताओं को आर. बी. ई. संख्या 73/2008 के अनुसार प्रतिस्थापन कोटा के तहत नियुक्ति के लिए विचार करने का सी. ए. टी. का निर्देश दो स्वतः स्पष्ट विचारों से प्रेरित है: (क) तथ्यात्मक निष्कर्ष (आरटीआई रिटर्न और अन्य सामग्री के आधार पर) कि प्रारंभिक पैनों के बाद और बाद के आंशिक पैनों के बाद भी काफी संख्या में पद खाली रह गए; और (ख) विधिक स्थिति यह है कि जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है और प्रतिस्थापन/प्रतीक्षा सूची में हैं, वे रिक्तियों के होने पर नियुक्ति के लिए प्रथम दृष्टया विचार किए जाने के हकदार हैं और केवल पैनल को सेवानिवृत्त करना बिना जांच के आवेदक के कानूनी दावे को नकारने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सी. ए. टी. का आदेश न तो निरपेक्ष है और न ही अंतिम: इसमें नियुक्ति के प्रस्ताव जारी करने से पहले रिक्त पदों की स्थिति की जांच और चिकित्सा/फिटनेस सत्यापन का प्रावधान है; इस प्रकार यह प्रशासनिक विवेक को बनाए रखता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि योग्य उम्मीदवारों की योग्यता की जांच अवश्य हो।

44. सातवां, महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने और अदालत में धोखाधड़ी के प्रश्न को सावधानी से देखना चाहिए। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने जानबूझकर पूर्व की कार्यवाही या सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए वचनों की जानकारी को सीटी के समक्ष लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से छिपाया था, तो यह गंभीर



न्यायिक निंदा का पात्र होगा और उन्हें अनुतोष से वंचित कर सकता है। हालाँकि, वर्तमान अभिलेख में विधिक सलाह पर सद्भावनापूर्वक भरोसा करने के कथन, हलफनामे और पक्षकार बनाने के आवेदन दाखिल किए जाने के उदाहरण (और कुछ मामलों में रजिस्ट्रार द्वारा खारिज किए जाने के उदाहरण) और इस बात के तर्क शामिल हैं कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने कुछ दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए अधिकृत नहीं किया था। इस न्यायालय को सावधानीपूर्वक विचार करना होगा कि क्या विशिष्ट याचिकाकर्ताओं का आचरण इस प्रकार की जानकारी छिपाने के बराबर था कि राहत देना अनुचित हो जाए; विशिष्ट निष्कर्षों द्वारा समर्थित न होने पर दुर्भावना का व्यापक निष्कर्ष अनुचित होगा।

45. आठवां, प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक हित संबंधी विचार महत्वपूर्ण हैं और न्यायालय के दृष्टिकोण को प्रभावित करना चाहिए। एक तरफ सार्वजनिक रोजगार के लिए व्यवस्थित, पूर्वानुमानित और समयबद्ध भर्ती में जनहित निहित है और दूसरी तरफ लंबे समय से बंद पड़े चयन को दोबारा खोलकर सरकारी खजाने पर अनुचित भार पड़ने से रोकना है। दूसरी ओर, यह सुनिश्चित करना जनहित में है कि प्रतियोगी प्रक्रिया के सभी चरणों को उत्तीर्ण कर चुके योग्य उम्मीदवारों को प्रशासनिक निष्क्रियता या कम योग्यता वाले उम्मीदवारों की चयनात्मक नियुक्तियों के माध्यम से नियुक्ति से वंचित न किया जाए। न्यायालय का कार्य संतुलन स्थापित करना है: अवसरवादी मुकद्देबाजी को रोकने और तटस्थता को हतोत्साहित करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना कि वास्तविक कानूनी अधिकारों को तकनीकी खामियों या प्रशासनिक उदासीनता से कुचला न जाए।

46. नौवां, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सीएटी द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण, रिक्ति की स्थिति के प्रशासनिक सत्यापन और प्रतीक्षा सूची में पात्र उम्मीदवारों पर परिणामी विचार के लिए एक निर्देश, इन परस्पर विरोधी विचारों को सुलझाने का प्रयास करता है। यह स्वचालित रूप से या यंत्रवत रूप से नियुक्तियों का आदेश नहीं देता है; इसके लिए उत्तरवादीगण को स्थिति की जांच करने, यह पता लगाने की आवश्यकता होती है कि क्या कोई रिक्तियां शेष हैं जिन्हें कानूनी रूप से प्रतिस्थापन सूची से भरा जा सकता है, और उसके बाद ही उपयुक्त पाए गए लोगों को प्रस्ताव पत्र जारी करना होता है। यह प्रक्रिया रेलवे के प्रबंधकीय विवेक को बरकरार रखती है और साथ ही याचिकाकर्ताओं के विधिक अधिकारों की रक्षा करती है।

47. दसवां और अंत में, अब निम्नलिखित मामलों पर विशेष रूप से निर्णय लेना आवश्यक होगा: (i) यह पहचान करना कि कौन से याचिकाकर्ता (यदि कोई हो) स्पष्ट रूप से समय-बाधित हैं या आचरण द्वारा अयोग्य घोषित किए गए हैं (अर्थात्, वे जो "पक्षपातपूर्ण" हैं या जिन्होंने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है); (ii) यह पहचान करना कि किन याचिकाकर्ताओं के रिक्त पदों से संबंधित वास्तविक और विद्यमान दावे हैं जो अभी तक भरे नहीं गए हैं और इसलिए प्रतिस्थापन कोटा के तहत विचार किए जाने के हकदार हैं; (iii) यह निर्धारित करना कि रेलवे द्वारा बाद की भर्तियों में की गई किसी भी नियुक्ति ने कथित रिक्तियों को कानूनी रूप से भरा है या नहीं, और यदि हां, तो किस हद तक; और (iv) प्रतिवादियों को उपयुक्त निर्देश तैयार करना जो सटीक, व्यावहारिक और कानून के अनुरूप हों, उदाहरण के लिए, एक सीमित, समयबद्ध रिक्ति लेखापरीक्षा,



प्रतिस्थापन सूची में शामिल लोगों का चिकित्सा सत्यापन, और नियुक्ति पत्र जारी करना जहां कानूनी रूप से अनुमत हो, पूर्ववृत्त और योग्यता की सामान्य जांच के अधीन है।

48. दिनेश कुमार कश्यप (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया :-- --

"5. इससे व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने यह तर्क भी दिया गया है कि 20% अतिरिक्त प्रतिस्थापन पैनल से व्यक्तियों को रेलवे द्वारा कई अन्य जोन में नियुक्ति की पेशकश की गई थी और केवल बिलासपुर, रायपुर और नागपुर के तीन खंडों में ऐसा नहीं किया गया था। रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि अपीलकर्ताओं को कोई अधिकार नहीं है और केवल इसलिए कि प्रतिस्थापन पैनल से अन्य क्षेत्रों में कुछ नियुक्तियां की गई हैं, इससे अपीलकर्ताओं को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

च. हमारे समक्ष उठने वाला मुख्य मुद्दा यह है कि क्या एसईसीआर दिनांक 02.07.2008 के पत्र के बावजूद बिना कोई ठोस कारण बताए 20% अतिरिक्त पैनल को नजरअंदाज कर सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सत्य है कि मात्र चयन होने से चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति का कोई अंतर्निहित अधिकार प्राप्त नहीं होता जाता है। साथ ही, जब बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हों और चयन प्रक्रिया का पालन किया जा चुका हो, तो नियोक्ता को न्यायालय को यह समझाना होगा कि उसने चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त क्यों नहीं किया, भले ही वे प्रतिस्थापन पैनल से ही क्यों न हों। केवल इसलिए कि प्राधिकरण को विवेकाधिकार प्राप्त है, इसका यह अर्थ नहीं है कि इस विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने ढंग से किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियोक्ता के लिए सभी पदों को भरना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसे कारण बताना होगा और न्यायालय को संतुष्ट करना होगा कि प्रतिस्थापन पैनल में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों को नियुक्त न करने के उसके पास कुछ आधार थे। इस संदर्भ में हम आर एस मित्तल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (यूओआई), (1995) सप्लीमेंट 2 एससीसी 230 में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है :-

"12. यह निःसंदेह सही है कि चयन समिति में शामिल किसी व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त होने का कोई निहित अधिकार नहीं है जिसके लिए उसे चुना गया है। उन्हें नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है। परंतु साथ ही, नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति की अनदेखी नहीं कर सकता है या अपनी मनमर्जी से नियुक्ति करने से इनकार नहीं कर सकता है। जब किसी व्यक्ति का चयन चयन बोर्ड द्वारा कर लिया गया हो और कोई रिक्ति हो जिसे उसकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए उसे दिया जा सकता हो, तो सामान्यतः उसे नियुक्ति के लिए नजरअंदाज करने का कोई औचित्य नहीं होता है। चयन समिति में शामिल किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से इनकार करने के लिए एक उचित कारण होना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में, सरकार की ओर से केवल निष्क्रियता ही रही है। इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया, न्यायसंगत कारण तो दूर की बात है, कि उम्मीदवारों को



शीघ्रता से और कानून के अनुसार नियुक्तियां क्यों नहीं दी गई थी। पद की उपलब्धता के उचित समय के भीतर ही श्री मुर्गोद को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाना चाहिए था और उसके बाद अगले उम्मीदवार को। इस प्रकरण में केंद्र सरकार का दृष्टिकोण पूरी तरह से अनुचित था।"

49. इसके अलावा, सुदेश कुमार गोयल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में सिविल अपील संख्या 10861/2013 में दिनांक 21.09.2023 को दिए गए निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :-- --

"18. यह हमें दूसरे तर्क की ओर ले जाता है कि चयनित उम्मीदवारों में से एक के इस्तीफे के कारण हुई रिक्ति के विरुद्ध अपीलकर्ता को आसानी से समायोजित किया जा सकता था। यह तर्क अपने आप में निराधार है क्योंकि अधिसूचित सभी रिक्तियां प्रारंभ में ही भर दी गई थीं। हालांकि, यदि चयनित उम्मीदवारों में से कोई एक पदभार ग्रहण करता है और फिर इस्तीफा दे देता है, तो इससे एक नई रिक्ति उत्पन्न हो जाती है जिसे उचित विज्ञापन जारी किए बिना और नई चयन प्रक्रिया का पालन किए बिना भरा नहीं जा सकता था। युगल पीठ ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों की मिसालों के आलोक में उपरोक्त तर्क पर उचित ढंग से विचार किया है और हमें नहीं लगता कि इस संदर्भ में कोई त्रुटि हुई है।

19. इसके अलावा, जैसा कि देखा जा सकता है कि बार से सीधी भर्ती द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2007 में शुरू की गई थी और अब हम वर्ष 2023 में हैं, जिसका अर्थ है कि इस बीच 16 वर्ष बीत चुके हैं। चयन प्रक्रिया को इतने लंबे समय तक खुला रखना और इस स्तर पर इतनी पुरानी चयन प्रक्रिया के आधार पर कोई नियुक्ति करने का निर्देश देना न्याय का उपहास होगा। इस अतिरिक्त कारण से भी, हम उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।"

50. उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता आक्षेपित कार्यवाही में किसी भी प्रकार की अवैधता, अनियमितता या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि को स्थापित करने में विफल रहे हैं, जिसके कारण न्यायालय द्वारा अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करना उचित हो। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित बाध्यकारी सिद्धांत स्पष्ट रूप से वर्तमान विवाद को नियंत्रित करते हैं और याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए तर्कों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। अभिलेख में वैधानिक प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन, स्थापित भर्ती मानदंडों से विचलन, या संवैधानिक सुरक्षा उपायों के उल्लंघन का खुलासा नहीं होता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार के आह्वान को उचित ठहरा सके। अतः, न्यायालय यह कहने के लिए विवश है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चुनौती व्यापक दावों पर आधारित है जो ठोस तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं हैं और प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में विफल रहती है।



51. उपरोक्त कारणों से, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायनिर्णय लागू विधिक ढांचे और तथ्यात्मक मैट्रिक्स के प्रति निष्ठावान रहे, यह न्यायालय निम्नलिखित पहलुओं की संरचित तरीके से जांच करने के लिए आगे बढ़ता है: (ए) पैनलों, आंशिक पैनलों और प्रतिस्थापन सूचियों का कालानुक्रम, और आरटीआई खुलासों सहित अभिलेखों से प्रमाणित सटीक रिक्ति स्थिति; (बी) याचिकाकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में विलंब, परिसीमा और लापरवाही का विवाद्यक, विशेष रूप से वे जिन्होंने सीएटी में विलंब से संपर्क किया या तटस्थ रुख अपनाया; (सी) दिनेश कुमार कश्यप (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और उसके बाद के आदेशों के विधिक निहितार्थ, और उसमें निहित तर्क वर्तमान याचिकाकर्ताओं पर किस विस्तार तक लागू होते हैं; (घ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अंतरिम आवेदनों, वापसी या प्रक्रियात्मक अस्वीकृतियों का व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं की पात्रता पर, यदि कोई हो, तो प्रभाव; और (ई) अनुतोष की प्रकृति, यदि कोई हो, जो प्रदान की जा सकती है और परिणामी निर्देशों का अनुमेय दायरा जो विधि के अनुरूप उत्तरवादीगण को जारी किया जा सकता है।

52. अभिवेदनों, आरटीआई रिटर्न सहित दस्तावेजी अभिलेखों, दिनांक 06.03.2024 के सीएटी के सामान्य आदेश, जिन पूर्व उदाहरणों पर भरोसा किया गया है, और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा विस्तृत रूप से प्रस्तुत तर्क पर व्यापक विचार करने के बाद, यह न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज करता है:-----

- **भारत संघ/रेलवे** द्वारा सीएटी के दिनांक 06.03.2024 के सामान्य आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं योग्यताहीन हैं, क्योंकि वे रोजगार सूचना संख्या एसईसीआर/02/2010 दिनांक 15.12.2010 के तहत रिक्त पदों की प्रशासनिक जांच और उसके परिणामस्वरूप प्रतिस्थापन/प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवारों पर विचार करने की अनुमति देने वाले निर्देश को चुनौती देती हैं। सीएटी ने किसी भी स्तर पर नियुक्ति का कोई व्यापक आदेश जारी नहीं किया है; बल्कि, इसने रिक्तियों का तथ्य-आधारित प्रशासनिक सत्यापन करने का निर्देश दिया है और यदि ऐसी रिक्तियां बनी रहती हैं, तो आरबीई संख्या 73/2008 और अन्य शासी मानदंडों के अनुसार पात्र उम्मीदवारों पर कठोरता से विचार करने का निर्देश दिया है। यह दृष्टिकोण विधि के स्थापित सिद्धांतों के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जो यह मानते हैं कि जो उम्मीदवार निर्धारित चयन प्रक्रिया से गुजर चुका है और वैध प्रतिस्थापन सूची में शामिल है, वह आमतौर पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का हकदार है, यदि वास्तविक और रिक्त पद मौजूद है।

- विलंब और लापरवाही, पैनल की समाप्ति या समाप्त होने, बाद की भर्तियों में रिक्तियों के अवशोषण और "पक्ष-विरोध" के आरोप से संबंधित रेलवे की आपत्तियां निस्संदेह सार्वजनिक रोजगार न्यायशास्त्र में महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु हैं। हालांकि, इन सिद्धांतों को व्यापक रूप से लागू करके सीएटी के पूरे आदेश को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है। सीएटी ने आरटीआई सामग्री और क्रमिक आंशिक पैनलों के संचालन द्वारा समर्थित एक तथ्यात्मक संदर्भ की पहचान की है, जो यह दर्शाता है कि रिक्ति की स्थिति का एक वास्तविक प्रशासनिक निर्धारण आवश्यक है। तदनुसार, यदि सावधानीपूर्वक प्रशासनिक जांच करने पर कोई विशेष दावा विलंब के कारण, जानकारी छिपाने के कारण, या बाद के भर्ती चक्रों में रिक्तियों के वैध रूप से भर जाने के कारण



अमान्य पाया जाता है, तो रेलवे ऐसे दावों को कारण सहित अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके विपरीत, जहां वास्तविक रिक्तियां बनी रहती हैं और उम्मीदवार योग्य पाया जाता है, वहां निष्पक्षता की संवैधानिक आवश्यकता यह अनिवार्य करती है कि योग्य उम्मीदवारों को अनिश्चित काल तक विचार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

- दिनेश कुमार कश्यप (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, बाद के विविध आदेशों के साथ पढ़ा जाए, तो उन उम्मीदवारों को अनुतोष प्रदान करता है जिन्होंने समय सीमा के भीतर न्यायाधिकरण से संपर्क किया था; इसका अनुपात कालानुक्रम या आचरण की परवाह किए बिना उम्मीदवारों की सभी श्रेणियों पर स्वतः लागू नहीं होता है। सीएटी के आदेश में इस महत्वपूर्ण अंतर को बरकरार रखा गया है, 0 जिसमें उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के यांत्रिक विस्तार के बजाय दावों की व्यक्तिगत जांच की आवश्यकता बताई गई है। यह संतुलित दृष्टिकोण अनुशासित भर्ती और प्रशासनिक स्थिरता में जनहित को प्रतिस्थापन सूची में शामिल योग्य उम्मीदवारों की वैध अपेक्षाओं की रक्षा करने के समान रूप से महत्वपूर्ण दायित्व के साथ सामंजस्य स्थापित करता है।

- कुछ उम्मीदवारों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाने के आरोप और अंतरिम कदमों के विधिक परिणाम वर्तमान बैच के सभी याचिकाकर्ताओं की एकमुश्त निंदा को उचित नहीं ठहराते हैं। केवल अंतरिम आवेदन दाखिल करने या प्रक्रियात्मक रूप से अस्वीकार किए जाने से समान परिस्थितियों वाले प्रत्येक उम्मीदवार को स्वतः अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। प्रशासनिक सत्यापन के दौरान रेलवे द्वारा ऐसे विवाद्यक की व्यक्तिगत रूप से जांच की जानी चाहिए, और यदि कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकलता है, तो वह ठोस सबूतों पर आधारित होना चाहिए।

53. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, और व्यवस्थित भर्ती और वैध दावों के संरक्षण में जनहित को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय रिक्त पदों की प्रशासनिक जांच की आवश्यकता वाले सीएटी के निर्देश में कोई खामी नहीं पाता है, और जहां रिक्तियां मौजूद पाई जाती हैं और उम्मीदवार उपयुक्त पाया जाता है, वहां कानून के अनुसार नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए। सीएटी के निर्देश एक संतुलित तथा विधिक रूप से टिकाऊ दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं जो न तो दावों के बारे में पूर्वाग्रह रखता है और न ही प्रशासन के उस अधिकार को समाप्त करता है जिसके तहत वह निराधार या समय-सीमा समाप्त हो चुके दावों को खारिज कर सकता है।

54. तदनुसार, भारत संघ/रेलवे द्वारा दायर रिट याचिकाएं (डब्ल्यूपीएस संख्या 6291/2024 और उससे संबंधित सभी मामले डब्ल्यूपीएस संख्या 4069/2025, डब्ल्यूपीएस संख्या 4127/2025, डब्ल्यूपीएस संख्या 4047/2025, डब्ल्यूपीएस संख्या 4134/2025, डब्ल्यूपीएस संख्या 4024/2025, डब्ल्यूपीएस संख्या 4044/2025, डब्ल्यूपीएस संख्या 4120/2025, डब्ल्यूपीएस संख्या 4330/2025, डब्ल्यूपीएस संख्या 4143/2025, डब्ल्यूपीएस संख्या 10041/2025, डब्ल्यूपीएस



संख्या 4119/2025, डब्ल्यूपीएस संख्या 4313/2025, डब्ल्यूपीएस संख्या 7203/2024, डब्ल्यूपीएस संख्या 4039/2025, डब्ल्यूपीएस) क्रमांक 2019/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 7198/2024, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 4020/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 7469/2024, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 23/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 2023/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 2037/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 2027/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 2022/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 2026/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 2016/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 1953/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 2030/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 2158/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 2159/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 2121/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 2892/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 2918/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 2912/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 2915/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 2920/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 2891/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 2929/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 2943/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 2910/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 8558/2024, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 7188/2024, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 7199/2024, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 354/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 3149/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 4975/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 4953/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 4659/2025, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 4607/2025, डब्ल्यूपीएस आवेदन संख्या 4611/2025, डब्ल्यूपीएस संख्या 4562/2025, डब्ल्यूपीएस संख्या 4587/2025 और डब्ल्यूपीएस संख्या 4597/2025 को खारिज किया जाता है, लेकिन लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है, निम्नलिखित निर्देशों के अधीन जो सटीक, व्यावहारिक और प्रशासनिक विवेक के साथ-साथ उम्मीदवारों के विधिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए अभिप्रेत हैं:

- उत्तरवादी (रेलवे/एसईसीआर) मंडल रेलवे प्रबंधक के पद से नीचे के अधिकारी या समकक्ष प्रशासनिक स्तर के अधिकारी के माध्यम से, एक छोटी दल की सहायता से, रोजगार सूचना संख्या एसईसीआर/02/2010 दिनांक 15.12.2010 (जिसमें सभी आंशिक पैनल और प्रतिस्थापन/प्रतीक्षा सूची शामिल हैं) और 2018 और 2019 में संबंधित पदों के लिए की गई बाद की भर्तियों का केंद्रित रिक्ति लेखापरीक्षा करेंगे।लेखापरीक्षा में दस्तावेजी प्रमाणों के साथ निम्नलिखित पदों का अभिलेख रखा जाएगा: (i) वे पद जिनका मूल रूप से विज्ञापन किया गया था लेकिन 2010 की प्रक्रिया से अंततः भरे नहीं गए, (ii) वे पद जो बाद की भर्तियों में भरे गए और जिस प्राधिकरण द्वारा उन्हें भरा गया, और (iii) वे पद जो अभी भी, कागजों पर और वास्तव में, खाली हैं और कानूनी रूप से 2010 की प्रतिस्थापन सूची से भरे जा सकते हैं।
- रिक्त पदों का लेखापरीक्षण निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा और रिक्त पदों की स्थिति पर एक लिखित रिपोर्ट तैयार की जाएगी और नियुक्ति के मामलों पर विचार करने वाले प्राधिकरण के समक्ष अभिलेख में रखी जाएगी।लेखापरीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों से यथासंभव उन विशिष्ट पदों (यदि कोई हो) की पहचान भी की जाएगी जिन्हें 2010 की प्रतिस्थापन सूची से कानूनी रूप से भरा जा सकता है।ऑडिट को अधिमानतः चार महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए ताकि योग्य दावेदारों को अनिश्चित काल तक विलंब न



हो।(रेलवे यह सुनिश्चित करता है कि लेखापरीक्षा बिना किसी अनावश्यक विलंब के पूरी हो जाए और रिपोर्ट को आगे की कार्यवाही के लिए फाइल में रख दिया जाए।)

- यदि रिक्ति लेखापरीक्षा से यह सिद्ध होता है कि एसईसीआर/02/2010 के परिणामस्वरूप तैयार की गई प्रतिस्थापन सूची से एक या अधिक रिक्तियां वैध रूप से भरी जानी बाकी हैं, तो रेलवे उस प्रतिस्थापन सूची में शामिल पात्र उम्मीदवारों के नामों पर योग्यता क्रम के अनुसार विचार करेगा और प्रस्ताव पत्र जारी करने से पहले प्रत्येक उम्मीदवार की सामान्य विभागीय जांच (पूर्ववृत्त, चिकित्सा योग्यता, मूल दस्तावेजों का सत्यापन) करेगा। सामान्य पृष्ठभूमि और चिकित्सा योग्यता जांच पूरी किए बिना किसी भी उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जाएगा।

- यदि रिक्ति लेखापरीक्षा से यह पता चलता है कि किसी विशेष पद को बाद के भर्ती चक्र में विधिवत रूप से समाहित कर लिया गया है (उदाहरण के लिए सीईएन 02/2018 या आरआरसी-01/2019-01/2019 के अंतर्गत), तो वह पद 2010 की प्रतिस्थापन सूची से नई नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होगा; ऐसे मामलों में, विपरीत प्रमाण प्रस्तुत न किए जाने पर, रेलवे द्वारा दर्ज विधिवत समाहित होने की स्थिति ही मान्य होगी।

- यदि प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है या जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कार्य किया है (उदाहरण के लिए, अपने द्वारा प्रारम्भ की गई पूर्व कार्यवाही को जानबूझकर छुपाना जो सीधे उनके दावे से संबंधित हो), तो रेलवे उम्मीदवार को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद ऐसे दावे को अस्वीकार कर सकता है। इस प्रकार की किसी भी अस्वीकृति के लिए लिखित कारण बताए जाएंगे और यह सामान्य न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन होगी।

- रेलवे प्रशासनिक अभिलेख के भाग के रूप में, रिक्ति-लेखापरीक्षा रिपोर्ट और इस प्रक्रिया के अंतर्गत विचार किए गए प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेगा। जहां प्रस्ताव पत्र जारी किए जाते हैं, ऐसे पत्रों में प्रतिस्थापन सूची के स्रोत का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए और वे सामान्य सत्यापन के अधीन होने चाहिए।

- यदि किसी पीड़ित पक्ष को लगता है कि रेलवे ने मनमाने ढंग से या प्रतिस्थापन सूची या सीएटी के आदेश की आवश्यकताओं के विपरीत कार्य किया है, तो ऐसा पक्ष उचित निवारण के लिए सीएटी से संपर्क करने का हकदार होगा; पीड़ित पक्षों के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन का उपाय खुला रहेगा। इस पर कोई वाद व्यय देय नहीं होगा। प्रकरण के सार्वजनिक महत्व और तथ्यों की मिश्रित प्रकृति को देखते हुए, प्रत्येक पक्ष अपने-अपने खर्चों का वहन करेगा।

- लेखापरीक्षा और उसके परिणामस्वरूप उठाए जाने वाले प्रशासनिक कदमों के लिए सटीक समय-निर्धारण और समय-सीमा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध प्रशासनिक आवश्यकताओं और निष्पक्ष एवं गहन जांच की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी; इस आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक को इन निर्देशों के अनुरूप संरचित समय सारणी अपनाने से बाधित करता है।



55. उपरोक्त कारणों से तथा विधि द्वारा अनिवार्य रूप से व्यवस्थित सार्वजनिक भर्ती की आवश्यकता और योग्य उम्मीदवारों के मौलिक विधिक अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, भारत संघ/रेलवे द्वारा दायर रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं और दिनांक 06.03.2024 के सीएटी के सामान्य आदेश को इस विस्तार तक यथावत रखा जाता है कि यह रिक्त पदों की प्रशासनिक परीक्षा तथा विधि तथा इन निर्देशों के अनुरूप प्रतिस्थापन सूची में योग्य उम्मीदवारों पर विचार करने का निर्देश देता है। सभी पक्षकार इस आदेश के अनुसार कार्य करेंगे।

56. तदनुसार आदेश दिया गया।

सही /-
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही /-
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश



निर्णय दिनांक सुरक्षित किया गया	निर्णय पारित किया जाने कि दिनांक	तिथि जब निर्णय वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है	
		ऑपरेटिव	फूल



18.11.2025	05.12.2025	-----	08.12.2025
------------	------------	-------	------------

हेड नोट ---

वैध रूप से तैयार की गई चयन समिति में शामिल उम्मीदवार को नियुक्ति का कोई अंतर्निहित अधिकार प्राप्त नहीं होता है, परंतु वह ऐसी नियुक्ति के लिए उचित, निष्पक्ष और कानूनी विचार का हकदार होता है। नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति की अवहेलना नहीं कर सकता है या मनमाने ढंग से या बाहरी आधारों पर नियुक्ति से इनकार नहीं कर सकता है। जब विधिवत चयनित उम्मीदवार योग्यता के आधार पर योग्य हो और संबंधित पद रिक्त हो, तो नियुक्ति केवल ठोस और न्यायसंगत कारणों से ही अस्वीकार की जा सकती है। सरकार की अस्पष्ट निष्क्रियता, साथ ही नियुक्ति में विलंब या नियुक्ति न करने का कोई कारण न बताने से यह निर्णय मनमाना और विधिक रूप से अस्थिर हो जाता है।



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु

किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य



प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

